33

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

तैंतीसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

तैंतीसवां प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

24.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र, 1944 (शक)

विषय-सूची

		पृ. सं.
समिति (2021-22) की संरचना		i-v
प्राक्कथन		vi
	प्रतिवेदन	
अध्याय एक	प्रस्तावना	1
अध्याय दो	बजटीय प्रावधान और उपयोग	4
अध्याय तीन	प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	17
अध्याय चार	छात्रवृत्ति योजनाएं	30
अध्याय पांच	नया सवेरा (नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं)	39
अध्याय-छह	मदरसों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजना (एसपीईएमएम)	50
अध्याय-सात	अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल - सीखो और कमाओ	61
अध्याय-आठ	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	71
	अनुबंध	
1.	सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 18.02.2022 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	76
2.	सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 22.03.2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।	79
	परिशिष्ट	82
	टिप्पणियों/सिफारिशों का विवरण	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्रीमती रमा देवी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री दीपक (देव) अधिकारी
3. श्रीमती संगीता आजाद
4. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
5. श्रीमती प्रमिला बिसाई
6. श्री थोमस चाजिकाडन
7. श्री छतरसिंह दरबार
8. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
9. श्रीमती मेनका संजय गांधी
10. श्री हंस राज हंस
11. श्री के.षणमुग सुंदरम
12. श्री अब्दुल खालेक
13. श्रीमती रंजीता कोली
14. श्रीमती गीता कोड़ा
15. श्री विजय कुमार
16. श्री अक्षयवर लाल
17. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद
18. श्री अर्जुन सिंह
19. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
20. श्रीमती रेखा अरुण वर्मा
21. श्री तोखेहो येपथोमी

राज्य सभा

22. श्रीमती झरना दास बैद्य
23. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
24. श्री अबीर रंजन बिस्वास
25. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
26. श्री एन. चंद्रशेखरन
27. श्री नारायण कोरागप्पा
28. श्रीमती ममता मोहंता
29. श्रीमती छाया वर्मा
30. श्री रामकुमार वर्मा

*31. रिक्त

- -

* श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा 16.03.2022 को त्यागपत्र दिए जाने के कारण।

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ममता केमवाल	-	निदेशक
3. श्री कृषेन्द्र कुमार	-	उप सचिव
4. श्रीमती शशि बिष्ट	-	कार्यकारी अधिकारी

<u>प्राक्कथन</u>

मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों' पर यह 33वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

2. समिति ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे 08 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया था। बजट संबंधी दस्तावेजों और व्याख्यात्मक टिप्पण प्राप्त करने के बाद समिति ने 18 फरवरी, 2022 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का साक्ष्य लिया। समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2022 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. समिति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को 'वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों' की जांच के संबंध में समिति के समक्ष उपस्थित होने और सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहती है।

4. संदर्भ सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
<u>22 मार्च, 2022</u>
01 चैत्र, 1944 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से 29 जनवरी, 2006 को किया गया था ताकि छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् जैन, पारसी, बौद्ध, सिक्ख, ईसाई और मुस्लिम समुदायों से संबंधित मामलों पर और अधिक अभिकेन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। जैन समुदाय को दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के तहत छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल किया गया है। मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए विनियामक एवं विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति तैयार करना और योजना बनाना, समन्वयन, मूल्यांकन और समीक्षा करना है। मंत्रालय की संकल्पना अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना तथा हमारे राष्ट्र के बहु जातीय, बहु-सांस्कृतिक, वहु-भाषायी एवं बहु-धार्मिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थकारी वातावरण निर्मित करने के लिए की गई है।

1.2 मंत्रालय की कल्याण और विकास योजनाएं अल्पसंख्यकों के गरीब और वंचित वर्गों पर केन्द्रित हैं। अधिकांश योजनाओं में पात्रता मानदंड आर्थिक आधार पर तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचें। शैक्षिक योजनाएं सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करने के लिए सहायता देने को कवर करती हैं ताकि अल्पसंख्यक सरकारी और निजी नौकरियां प्राप्त कर सकें।

1.3 मंत्रालय ने अपनी "सीखो और कमाओ" योजना का "स्किल इंडिया मिशन" और "मेक इन इंडिया मिशन" के अनुरूप सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया है तथा पारंपरिक कलाओं / शिल्पों के संरक्षण के लिए "उस्ताद" और अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा को कौशल से जोड़ने के लिए "नई मंजिल" नामक योजनाएं भी कार्यान्वित की हैं। "नई रोशनी" योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए है।

1.4 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की चल रही योजनाएं, इस प्रकार हैं:-

क. सशक्तीकरण

1. शैक्षिक सशक्तीकरण

एक. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना।

दो. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

तीन. मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

चार. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

पांच. विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता।

छः	अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना।

सात.	यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उतीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।

आठ.	मदरसों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजना (एसपीईएमएम) (यह योजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से हस्तांतरित की गई है)

**2.	आर्थिक सशक्तीकरण**

एक.	कौशल विकास पहलें

दो.	विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन तथा प्रशिक्षण (उस्ताद)।

तीन.	नई मंजिल

चार.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को इक्विटी अंशदान।

**3.	सशक्तीकरण के लिए विशेष पहलें**

एक.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना।

दो.	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने हेतु योजना।

तीन.	हमारी धरोहर।

चार.	विकास योजनाओं के प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन।

**ख.	क्षेत्र/अवसंरचना विकास कार्यक्रम**

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)।

**ग.	संस्थानों को सहायता**

एक.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान।

दो.	एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को अनुदान

तीन.	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना

चार.	शहरी वक्फ सम्पति विकास योजना

1.5	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय निम्नलिखित स्वायत्त/अधीनस्थ संस्थाओं के लिए प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय है:-

(i)	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (सीएलएम)
(ii)	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम)
(iii)	केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)

(iv) भारतीय हज समिति (एचसीओआई)

(v) दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर

(vi) राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (एनएडब्ल्यूएडीसीओ)

(vii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

(viii) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ)

अध्याय दो

बजटीय प्रावधान और उपयोग

2.1 वर्ष 2021-22 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें, मांग संख्या 70 के तहत दी गई हैं। मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों को 8 फरवरी, 2022 को संसद में रखा गया था। मंत्रालय ने ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजटीय अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	सं.अ. का % व्यय
2019-20	4700.00	4700.00	4505.10	95.9%
2020-21	5029.00	4005.00	3998.57	99.8%
2021-22	4810.77	4346.45	2342.23 (16.02.2022तक)	53.89%
2022-23	5020.50*	-	-	-

2.2 मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे के अनुसार, निम्नलिखित विवरण पिछले 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान योजना परिव्यय और व्यय और 2022-23 के लिए बजटीय अनुमानों के योजना-वार ब्यौरे को दर्शाता है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना / परियोजना / कार्यक्रम का नाम	2019-20				2020-21				2021-22				कमी / अधिक व्यय की वर्ष वार प्रतिशतता	बजट अनुमान 2022–23
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	कमी / अधिक व्यय, यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	कमी / अधिक व्यय, यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (31.12.21)	कमी / अधिक व्यय, यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	राष्ट्रीय अल्पसख्यक विकास एवं वित्त निगम की इक्विटी में अंशदान	100.00	160.00	160.00	-	160.00	110.00	110.00	आरई चरण में कटौती के कारण धनराशि जारी नहीं की जा सकी।	153.00	100.00	100.00	आरई चरण में कटौती के कारण।	2019-20 00% 2020-21 31.25% 2021-22 34.64%	159.00
2.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान	90.00	90.00	37.50	एमएईएफ से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियां जारी नहीं की जा सकी।	82.00	80.00	70.92	एमएईएफ से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियां जारी नहीं की जा सकी।	90.00	76.00	76.00	एमएईएफ से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियां जारी नहीं की जा सकी।	2019-20 58.33% 2020-21 13.50% 2021-22 15.56%	00.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	अल्पसंख्यकों की विकास योजनाओं का अनुसंधान/ अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रचार	60.00	40.00	24.98	एडी अनुमोदन सेल से अनुमोदन न मिलने के कारण मीडिया अभियान एवं विज्ञापन कम जारी किए गए।	50.00	35.00	11.92	एडी अनुमोदन सेल से अनुमोदन न मिलने के कारण मीडिया अभियान एवं विज्ञापन कम जारी किए गए।	41.00	41.00	12.22	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 58.36% 2020-21 76.14% 2021-22 70.20%	41.00
4	मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति	366.43	361.51	285.63	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से भुगतान फाइलें और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशासनिक खर्चों के लिए भुगतान के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होना।	400.00	400.00	396.34	----	325.00	325.00	34.51	छात्रवृत्तियां जारी करने का प्रस्ताव चल रहा है।	2019-20 22.05% 2020-21 0.91% 2021-22 89.38%	365.00
5	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	75.00	40.00	13.97	पिछले वित्तीय वर्षों में पीआईए को किए गए आबंटनों के दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत न किए जाने के कारण उन्हें लक्ष्य आबंटित न किया जाना।	50.00	25.00	18.44	कोविड–19 कारण सितंबर, 2020 तक कोचिंग कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका।	79.00	79.00	18.22	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 81.37% 2020-21 63.12% 2021-22 76.94%	79.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2.00	2.00	1.93	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए	2.00	1.00	0.97	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए	2.00	2.00	2.00	----	2019-20 3.50% 2020-21 51.50% 2021-22 0.00%	2.00
7	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पहले एमएसडीपी)	1470.00	1588.86	1698.29	---	1600.00	971.38	1091.94	आरई चरण में कटौती के कारण धनराशि जारी नहीं की जा सकी	1390.00	1199.5 5	763.32	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 +15.5% 2020-21 31.75% 2020-21 45.08%	1650.00
8	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	1220.30	1199.82	1324.85	-----	1330.00	1330.00	1325.54	-----	1378.00	1378.00	202.81	छात्रवृत्ति जारी करने का प्रस्ताव चल रहा है	2019-20 +8.56% 2020-21 0.34% 2021-22 85.28%	1425.00
9	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	496.01	482.66	428.77	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से भुगतान फाइलें और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रशासनिक खर्चों के लिए भुगतान के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होना।	535.00	535.00	512.81		468.00	468.00	31.83	छात्रवृत्ति जारी करने का प्रस्ताव चल रहा है।	2019-20 13.55% 2020-21 4.15% 2021-22 93.20%	515.00
10	सचिवालय	22.00	24.39	22.53	रिक्त पद और आर्थिक उपाय	25.00	26.00	23.72	रिक्त पद और आर्थिक उपाय	28.00	26.90	18.04	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 +2.41% 2020-21 5.12% 2021-22 35.57%	30.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	155.00	130.00	100.00	यूजीसी से मांग प्राप्त न होना	175.00	100.00	73.50	यूजीसी से मांग प्राप्त न होना	99.00	99.00	65.00	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 35.48% 2020-21 58.00% 2021-22 34.34%	99.00
12	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना	17.50	15.00	11.83	सीडब्ल्यूसी से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	18.00	9.00	0.10	सीडब्ल्यूसी से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	14.00	10.00	6.68	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 32.40% 2020-21 99.44% 2021-22 52.29%	10.00
13	शहरी वक्फ सम्पत्ति विकास योजना (पूर्ववर्ती वक्फ को अनुदान सहायता–योजना	3.16	3.16	3.16		3.00	3.00	3.00		2.00	2.00	1.00	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 00% 2020-21 00.00% 2021-22 50.00%	5.00
14	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	15.00	10.00	7.10	पीआईए से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	10.00	6.00	6.00	पीआईए से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	8.00	2.50	1.40	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 52.67% 2020-21 40.00% 2021-22 82.50%	2.50
15	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता।	30.00	25.00	14.43	नोडल बैंक से कम मांग	30.00	22.00	20.19	नोडल बैंक से कम मांग	24.00	24.00	16.20	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 51.9% 2020-21 32.70% 2021-22 32.50%	24.00
16	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।	4.00	4.00	3.86	-	4.00	4.00	4.00	-	3.00	3.00	3.00	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 3.50% 2020-21 00.00% 2021-22 00.00%	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	कौशल विकास पहल	250	250	175.52	पीआईए से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	250	190.00	190.03	पीआईए से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	276.00	250.00	206.95	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 29.77% 2020-21 23.99% 2021-22 25.00%	235.41
18	यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी आदि द्वारा आयोजित प्रारांभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता।	20.00	10.00	8.01	अभ्यर्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	10.00	8.00	4.15	अभ्यर्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	8.00	6.00	4.78	अभ्यर्थियों को निधियां जारी की जानी हैं।	2019-20 59.95 % 2020-21 58.50% 2021-22 40.25%	8.00
19	विकास हेतु पारंपरिक कलाओं /शिल्पों में कौशल का उन्नयन तथा प्रशिक्षण (उस्ताद)	50.00	60.00	54.48	कोविड के कारण पीआईए से कम प्रस्तावों की प्राप्ति	60.00	60.00	56.74	कोविड के कारण पीआईए से कम प्रस्तावों की प्राप्ति	60.00	60.00	30.04	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 108.86% 2020-21 5.43% 2021-22 49.93%	47.00
20	हमारी धरोहर	8.00	3.00	0.70	पीआईए से प्रस्ताव प्राप्त न होना	3.00	5.20	4.55	पीआईए से प्रस्ताव प्राप्त न होना	2.00	2.00	0.70	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 91.25% 2020-21 150.00% 2021-22 65.00%	2.00
21	नई मंजिल	140.00	100.00	34.44	पीआईए से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	120.00	60.00	59.84	पीआईए से कम प्रस्ताव प्राप्त होना	87.00	47.00	33.97	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 75.40% 2020-21 50.13% 2021-22 60.95%	46.00
22	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	9.30	10.30	9.23	--	11.00	9.29	7.10	--	12.00	9..92	5.42	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 0.06% 2020-21 35.45% 2021-22 54.83%	12.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2.30	2.30	1.88	रिक्त पद, कम दौरे/खरीद	3.00	2.13	1.84	रिक्त पद, कम दौरे/खरीद	2.77	2.19	1.68	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 18.27% 2020-21 38.67% 2021-22 39.35%	2.85
24	हज प्रबंधन	94.00	88.00	82.05	रिक्त पद, कम दौरे/खरीद	98.00	13.00	4.93	हज रद्द होने के कारण रिक्त पद, कम दौरे/खरीद	98.00	12.04	5.67	हज रद्द होने के कारण कम व्यय	2019-20 12.71% 2020-21 94.96% 2021-22 94.22%	89.42
25	मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना (शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से हस्तांतरित)	-	-	-	-	-	-	-	-	174.00	174.00	0.02	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2020-21 0.01 %	160.00
	योग	**4700.00**	**4700.00**	**4505.10**		**5029.00**	**4005.00**	**3998.57**		**4810.77**	**4346.45**	**1641.46**			**5020.50**

2.3 उन कारणों,जिनकी वजह से मंत्रालय 21-2020 ,20-2019और 22-2021के दौरान उन्हें आवंटित धनराशि खर्च नहीं कर सका, के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"मंत्रालय अपने प्रदर्शन से संतुष्ट है क्योंकि वर्ष 20-2019और 21-2020के दौरान आवंटन का क्रमश %95.85 :और %99.84इस मंत्रालय द्वारा खर्च किया गया था। यदि वर्ष 21-2020के दौरान आरई चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा कटौती नहीं की जाती तो, मंत्रालय इससे अधिक व्यय करता। 22-2021के संबंध में, 17 फरवरी, 2022तक 2342.23 करोड़ रु .का व्यय किया गया है। जब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दो स्तरीय प्रमाणीकरण के बाद आवेदन प्राप्त होते हैं, व्यय की गति कम रही क्योंकि तीन छात्रवृत्ति योजनाओं)जो कुल आरई आवंटन का %50है (के तहत निधियां ज्यादातर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी की गई हैं।"

2.4 इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान जानकारी दी कि:

"……..कोविड के कारण सभी विभागों में 2020-21 में 20 प्रतिशत कटौती आरई के स्टेज पर हुई है। 2021-22 में 10 प्रतिशत कटौती भी हुई है। कटौती जिस प्रकार आरई के रिवाइज्ड स्टेज पर हुई थी, उसके अनुसार हम लोगों ने खर्च किया है। 2020-21 में आरई स्टेज में सभी विभागों के ऊपर कटौती लागू की गई, उसमें 2020-21 में 4005 करोड़ रुपये मिला था, जिसमें से 99.8 प्रतिशत खर्च हुआ है। इसी प्रकार 2021-22 में 10 प्रतिशत कटौती हुई है। प्रत्येक क्वार्टर में कम खर्च करने के लिए निर्देश भी प्राप्त हुआ था। उसमें आरई का 4346.45 करोड़ रुपए का एस्टिमेट हुआ था, उसमें विगत वर्ष से अभी तक खर्चे की स्थिति के बारे में कहा जाए तो कुछ सीमा तक संतोष जनक ही है। 18 फरवरी, 2022 तक 53.89 प्रतिशत खर्च हुआ, जबकि विगत वर्ष इसमें फरवरी के अंत तक मात्र 45.62 प्रतिशत हुआ था। मैं समिति को अवगत कराना चाहूंगी कि फरवरी के अंत तक लगभग 70 प्रतिशत का खर्चा हो जाएगा।"

2.5 मंत्रालय ने 2020-21 के दौरान आवंटित निधियों में से विभिन्न योजनाओं से संबंधित निधियों के लौटाए जाने तथा उसके कारणों के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	राशि	कारण
1.	मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	3.66	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल/पेमेन्ट फाइल से कम प्रस्ताव प्राप्त होना।
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	22.19	
3.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	4.45	
4.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	506.06	कम पेशेवरों की भर्ती, उत्तर-पूर्वी राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति आरई चरण में

			कटौती आदि।
5.	प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	35.08	कम विज्ञापन जारी होना। दूसरी किस्त जारी करने के लिए पीआईए से व्यवहार्य प्रस्ताव और पात्र प्रस्तावों प्राप्त न होना। विक्रेताओं से बिलों की रसीद प्राप्त न होना।
6.	अल्पसंख्यक छात्रों को मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	101.50	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम मांग प्राप्त होना।
7	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान	11.08	एमएईएफ से पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होना।
8.	निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना	31.56	पीआईए से पूर्ण दस्तावेज प्राप्त न होना और कोविड-19 के कारण देरी से कार्यान्वयन
9.	यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	5.85	अभ्यर्थियों से आवेदन कम प्राप्त होना।
10.	सचिवालय	4.23	रिक्त पदों का न भरा जाना और किफायती उपाय
11.	एनसीएम	3.90	कोई विदेशी यात्रा नहीं। कम घरेलू दौरे और चिकित्सा और अन्य बिलों की कम प्राप्ति आदि।
12.	सीएलएम	1.16	रिक्त पदों का न भरा जाना और किफायती उपाय
13.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना।	4.00	पीआईए से पूर्ण दस्तावेज प्राप्त न होना। पेशेवरों को काम पर कम रखना।
14.	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्क़ियाती योजना	17.90	पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्तावों, एसडब्ल्यूबी से उपयोग प्रमाणपत्रों का प्राप्त न होना और एसडब्ल्यूबी द्वारा मैनपावर की तैनाती न किया जाना, जिसके कारण केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा कम धनराशि की मांग की गई।
15.	कौशल विकास पहलें	59.97	पीआईए द्वारा प्रशिक्षुओं का विलंबित जमावड़ा। पीआईए द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना और फरवरी 2020 में प्रशिक्षण लक्ष्य का आवंटन फरवरी 2020 में किया गया।
16.	विकास के लिए पारंपरिक कला /शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन	3.26	कार्यान्वयन एजेंसियों से पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होना और सहायक स्टाफ को कम नियोजित करना।
17	नई मंजिल	60.16	कार्यान्वियनकर्ता एजेंसियों से पर्याप्त और

			व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होना, कम अध्ययन दौरे किए गए, कार्यालय उपभोज्य वस्तुओं और फर्नीचर की कम खरीद और पेशेवरों को कम नियोजित करना।
18.	हज प्रबंधन	89.90	यात्राओं का रद्द करना। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा काम पूरा न होना। प्रतिनियुक्तिवादियों के बकाया बिलों की कम रसीद, कम प्रचार, एम्बुलेंस सेट की खरीद को स्थगित करना।
19	एनएमडीएफसी की एससीए	1.04	एनएमडीएफसी से कम प्रस्ताव प्राप्त होना
20	शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी	9.81	नोडल बैंक/लाभार्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होना।
21	एनएमडीएफसी को इक्विटी	50.00	आरई चरण पर कटौती के कारण।
22	हमारी धरोहर	0.66	पीआईए से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होना
	कुल	**1030.44**	

2.6 यह पूछे जाने पर कि क्या वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 8,151.92 करोड़ रुपये के अनुमान के सापेक्ष आबंटित की गई 5,020.50 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

> "वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष *2022-23* के लिए *8,151.92* करोड़ रुपये के अनुमानों की तुलना में आवंटित *5,020.50* रुपये की राशि मंत्रालय की चल रही योजनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी। एक बार व्यय की गति तेज हो जाने के बाद, यदि आवश्यक हो तो, मंत्रालय अधिक निधियों की मांग करेगा।"

2.7 समिति पाती है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय 4700 करोड़ रुपए और 5029 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन में से वर्ष 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः केवल 4505.10 करोड़ रुपए और 3998.57 करोड़ रुपए खर्च कर सकी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4810.77 करोड़ रुपए के आवंटन में से 16 फरवरी, 2022 तक वास्तविक व्यय न्यूनतम 2342.23 करोड़ रुपए हुआ। मंत्रालय ने समिति को बजट का निम्न उपयोग होने का कारण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 स्थिति की वजह से 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में अनिवार्य कटौती लगाए जाने और दूसरा, तीन छात्रवृति योजनाओं जिसमें कुल संशोधित अनुमान राशि का 50% शामिल है, वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में मुख्यतः खर्च कर दिए जाने को बताया। समिति को यह विश्वसनीय नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, समिति यह देख कर नाखुश है कि मंत्रालय अपने द्वारा प्रशासित योजनाओं यथा परंपरागत कला/ शिल्पकारी के विकास में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन योजना (उस्ताद), अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना, हमारी धरोहर, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजनाएं, अनुसंधान/अध्ययन, अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रचार, अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं आदि में 2021-22 के बजटीय आवंटन का 50% भी खर्च नहीं कर पाई। इस पृष्ठभूमि में समिति पाती है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट का पूर्ण उपयोग शायद ही हुआ क्योंकि मंत्रालय संशोधित अनुमान चरण में अनुमोदित धनराशि का व्यय करने में सक्षम नहीं थी। यदि वित्त मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बजट आवंटित कर दी होती और संशोधित अनुमान चरण में कटौती नहीं लगाई होती तो धनराशि निष्क्रिय पड़ी रहती। जहां तक छात्रवृत्ति राशि का संबंध है, अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में समिति ने 'नई' श्रेणी के अंतर्गत मंत्रालय को हो रही कतिपय समस्याओं का उल्लेख किया था जिसके लिए पहली तिमाही में ही कम से कम राशि दी जा सकती थी। 'नवीकरण' श्रेणी के लिए समय पर आवेदन करने का सुझाव भी दिया गया। इससे अंतिम तिमाही में कम भीड़-भाड़ होगी। अब चूंकि कोविड-19 की स्थिति में कुछ राहत हुई है, समिति चाहती है कि 2021-22 के लिए बजट आवंटन का पूर्ण उपयोग के लिए मंत्रालय प्रयास करते रहे ताकि अल्पसंख्यक वर्ग के अधिक से अधिक लोग अपने लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठा सकें।

2.8 अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए अनुदान की मांगों पर समिति को दी गई सूचना से समिति नोट करती है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को बजट आवंटन में काफी कमी की गई है क्योंकि 8151.92 करोड़ रुपए के प्रस्तावित राशि के मुकाबले 5020.50 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। चूंकि यह आवंटित धनराशि अपर्याप्त प्रतीत होता है इसलिए समिति को बताया गया है कि बजटीय आवंटन में कमी की स्थिति में मंत्रालय संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त धनराशि की मांग करेगी। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालय ने पर्याप्त और अव्यवहार्य प्रस्ताव कम मिलने या नहीं मिलने के कारण अपने विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में से 1030.43 करोड़ रुपए अभ्यर्पित की। इस परिदृश्य में समिति महसूस करती है कि इस प्रकार की स्थिति 2022-23 में नहीं होनी चाहिए अन्यथा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के बजाय मंत्रालय को संशोधित अनुमान चरण में बजट कम करना पड़ेगा। समिति दोहराती है कि मंत्रालय को पूर्ण जवाबदेही के साथ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि बजटीय आवंटन का पूरी तरह से व्यय हो सके और मंत्रालय का परिकल्पित उद्देश्य पूरा हो सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करें ताकि 2022-23 के बजट आवंटन का पूरी तरह से उपयोग हो सके।

अध्याय-तीन

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

3.1 2008 में शुरू होने वाला प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), पूर्व में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), जिसे जून, 2013 में पुनर्गठित किया गया था, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसकी पहचान नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा के तहत कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के रूप में की गई है। इसे मई, 2018 से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के रूप में लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और राष्ट्रीय औसत की तुलना में असंतुलन को कम करने के लिए चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है।

3.2 15वें वित्त आयोग चक्र को जारी रखने के लिए 19.01.2022 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से इस योजना का पुनर्गठन किया गया है। यह योजना अब 117 आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। पुनर्गठित स्कीम के अनुसार, राज्यों को ऐसी परियोजनाओं का प्रस्ताव करना है जहां जल ग्रहण क्षेत्र (5 किमी दायरे में) में अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता 25% से अधिक है। राज्यस्तरीय समिति/केन्द्र सरकार के संगठन के उचित प्रमाणन करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला केंद्रित परियोजनाओं के साथ खेल, स्वच्छता, सौर ऊर्जा और पर्यटन सह कौशल केंद्र परियोजनाओं को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। एमसीए की पहचान अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और पहचान किए गए संकेतकों के संदर्भ में पिछड़ेपन के आधार पर की गई है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आने वाले 870 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी), 321 अल्पसंख्यक बहुल कस्बों (एमसीटी) और 109 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के मुख्यालयों (एमसीडी मुख्यालयों) की पहचान की गई है।

3.3 चूंकि पीएमजेवीके निश्चित रूप से एक वित्तपोषित योजना है, परियोजनाओं को केन्द्र तथा राज्य/संघ राज्य प्रशासन के बीच सभी राज्यों हेतु 60:40के अनुपात में उत्तर-पूर्व राज्य, पहाड़ी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) /संघ राज्य क्षेत्र हेतु 90:10 के अनुपात में तथा विधि रहित संघ राज्य क्षेत्र में %100फंड शेयरिंग आधार पर परियोजनाएं लागू की जाती हैं।केन्द्र सरकार के संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों को100% समर्थन दिया जाता है।

3.4 मंत्रालय ने बताया कि पीएमजेवीके के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने पीएमजेवीके के तहत बनाई गई संपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर)एनआरएससी-(इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो ने तब से मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है और मंत्रालय ने दो राज्यों, कर्नाटक और मणिपुर में इस परियोजना का संचालन किया है और इसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मई, 2022से लागू किया जाएगा।

3.5 वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ. के साथ पिछले तीन वर्षों के लिए ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्त विक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्त विक व्यय	ब.अ.
1470.00	1588.86	1698.29	1600.00	971.38	1091.94	1390.00	1199.55	864.02 (16.2.22 तक)	1650.00 (स्वीकृत परियोजना ₹1,794.00 करोड़)

3.6 वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना-वार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

2019-20			2020-21			2021-22			पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों का %	2022-23 लक्ष्य
लक्ष्य	उपलब्यिां	कमी यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ब्लाकों/ नगरों के प्रस्तावों का अनुमोदन करना और पहले अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधि जारी करना।	3101.50 करोड़ रु. के केंद्रीय हिस्से के साथ 4375 करोड़ रु. की परियोजनाएं अनुमोदित की गई। 1698.29 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।	कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समुचित पात्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।	ब्लॉक/ नगर की योजनाओं को अनुमोदन देना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां जारी करना।	1342.51 करोड़ रु. के केंद्रीय हिस्से के साथ 1821.28 करोड़ रु. की परियोजना अनुमोदित की गई। 1091.94 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।	प्रस्ताव अभी प्राप्त हो रहे हैं। उन पर कार्रवाई हो रही है।	ब्लॉक/ नगर के प्रस्तावों को अनुमोदन देना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां जारी करना।	1442.59 करोड़ रु. के केंद्रीय हिस्से के साथ 2027.62 करोड़ रु. की परियोजना अनुमोदित की गई और 31.12.21 तक 792.58 करोड़ रु. जारी किए गए।	प्रस्ताव अभी प्राप्त/प्रोसेस किए जा रहे हैं।	100% लगभग	ब्लाकों/ नगरों/ शहरों/गांवों के प्रस्तावों को अनुमोदन देना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां जारी करना।

3.7 यह पूछे जाने पर कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण 21-2020और 22-2021में संशोधित स्तर पर धनराशि कम की गई और वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों से मेल नहीं खाता, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:

"2020-21 के दौरान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट आवंटन को 5029 करोड़ रु. से घटाकर 4005 करोड़ रु. कर दिया था। इसलिए पीएमजेवीके के लिए बजटीय आवंटन 1600 करोड़ रु. (बीई) से घटाकर 971.38 करोड़ रु. (आरई) कर दिया गया। पीएमजेवीके के तहत 2020-21 में 1091.94 करोड़ रु. का व्यय किया गया क्योंकि विनियोजन की प्रत्येक प्राथमिक इकाई के अधीन बजट अनुमान (बीई) के संदर्भ में संसद द्वारा अनुमोदित विनियोजन सीमा तक ही मंत्रालय खर्च कर सकता था। तथापि मंत्रालय का समग्र व्यय संशोधित अनुमान (आरई) 2020-21 के लिए निर्धारित व्यय सीमा के भीतर रखा गया था ताकि संशोधित अनुमान 2020-21 के समय अनुमानित बचतें वापस की जा सकीं।इसी तरह, चालू वित्त वर्ष के दौरान, मंत्रालय के बजटीय आवंटन को संशोधित अनुमान पर 4810.77 करोड़ रु. से घटाकर 4346.45 करोड़ रु. कर दिया गया है। पीएमजेवीके का बजटीय आवंटन 1390 करोड़ रु. (बीई) से घटाकर 1199.55 करोड़ रु. (आरई) कर दिया गया है।"

3.8 यह पूछे जाने पर कि परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं और वे कौन से कारण हैं जिनके कारण परियोजनाओं के अनुमोदन में काफी समय लगता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"वर्तमान में, ब्लॉक स्तरीय समिति (बीएलसी), जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) और राज्य स्तरीय समिति (एलएलसी) द्वारा विचार किए जाने के बाद राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। पुनर्गठित पीएमजेवीके के अनुसार, मौजूदा प्रक्रिया के अलावा, राज्य स्तर पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी अब एसएलसीके अनुमोदन से सीधे मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

पीएमजेवीके के तहत विचार के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी विचार के लिए अधिकार प्राप्त समिति को व्यवहार्य प्रस्तावों की सिफारिश करती है। एसएलसी के अनुमोदन से प्राप्त पात्र प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा यथाशीघ्र मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा, 2022-2023 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है जिसमें सभी पात्र परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए विचार किया जाएगा। इससे परियोजनाओं की बेहतर योजना और क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। राज्य भी समय पर आवश्यक बजटीय प्रावधान करने में सक्षम होंगे, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही उन्हें स्वीकृत परियोजनाओं और धन की आवश्यकता के बारे में पता चल जाएगा। राज्यों को परियोजनाओं के निष्पादन और योजना की निगरानी के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा।"

3.9 जहां तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सरकार के संगठनों में इस योजना की शुरुआत (अर्थात् 2008-09) के बाद से अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या का संबंध है, मंत्रालय ने निम्नानुसार जानकारी दी:-

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत	स्वीकृत परियोजनाओं का केंद्रीय हिस्सा	टिप्पणियां
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
1	अंडमान और निकोबार	107	3558.92	3558.92	-
2	आंध्र प्रदेश	8344	64354.19	40085.53	कौशल प्रशिक्षण के तहत 2700 साइकिलें और 5055इकाइयां शामिल हैं
3	अरुणाचल प्रदेश	10688	80227.04	72540.72	इंदिरा आवास योजना के तहत 6840इकाइयां शामिल हैं
4	असम	135614	222796.64	206682.16	इंदिरा आवास योजना के तहत 89886इकाइयां शामिल हैं
5	बिहार	82613	194690.26	140152.65	इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 41287इकाइयां शामिल हैं
6	छत्तीसगढ	1003	6278.37	4045.59	-
7	दिल्ली	141	3394.62	2828.07	-
8	गुजरात	151	5634.43	3380.66	-
9	हरयाणा	3358	24330.88	16508.19	इंदिरा आवास योजना के तहत 2000इकाइयां शामिल हैं
10	हिमाचल प्रदेश	1	1277.35	1149.61	-
11	जम्मू और कश्मीर	368	3389.58	3042.4	-
12	झारखंड	15482	58428.75	42787.46	इंदिरा आवास योजना के तहत 10410इकाइयां शामिल हैं
13	कर्नाटक	16707	92743.34	59411.4	इंदिरा आवास योजना के तहत 5900इकाइयां शामिल हैं
14	केरल	2179	29890.96	18935.45	1807साइकिल शामिल हैं
15	लद्दाख	220	8923.36	8923.36	-
16	मध्य प्रदेश	1253	40441.22	25226.95	इंदिरा आवास योजना के तहत 1000इकाइयां शामिल हैं
17	महाराष्ट्र	42748	56989.12	36671.72	इंदिरा आवास योजना के तहत 11670इकाइयां और साइबरग्राम के तहत 28000इकाइयां शामिल हैं
18	मणिपुर	17807	136073.26	120694.12	इंदिरा आवास योजना के तहत 1668साइकिल और 7763यूनिट शामिल हैं
19	मेघालय	9036	18589.27	16845.62	इंदिरा आवास योजना के तहत 2154साइकिल और 6204यूनिट शामिल हैं
20	मिजोरम	3493	50267.79	45401.36	इंदिरा आवास योजना के तहत 2758इकाइयां शामिल हैं
21	नगालैंड	10	22191.5	19972.35	-
22	उड़ीसा	13546	17356.4	13250.24	इंदिरा आवास योजना के तहत 10037इकाइयां और कौशल प्रशिक्षण के तहत 2850इकाइयां शामिल हैं
23	पंजाब	654	39676.24	24469.7	इंदिरा आवास योजना के तहत 23 इकाइयां शामिल हैं
24	राजस्थान Rajasthan	12570	62350.1	40507.31	साइबरग्राम के तहत 10400 इकाइयां शामिल हैं

25	सिक्किम	1679	50292.67	45205.93	इंदिरा आवास योजना के तहत 502 इकाइयां शामिल हैं
26	तमिलनाडु	123	65844.2	39506.52	-
27	तेलंगाना	4572	117031.61	71338.32	कौशल प्रशिक्षण के तहत 1250 साइकिल और 2700इकाइयां शामिल हैं
28	त्रिपुरा	28279	23477.57	20803.57	इसमें 2735साइकिलें ,इंदिरा आवास योजना के तहत 4151 इकाइयां और कौशल प्रशिक्षण के तहत 18109इकाइयां शामिल हैं
29	उत्तर प्रदेश	383818	523681.76	360246.17	साइबरग्राम के तहत 173143 इकाइयां ,इंदिरा आवास योजना के तहत 85854इकाइयां और कौशल प्रशिक्षण के तहत 1676इकाइयां शामिल हैं।
30	उत्तराखंड	2326	33127.91	29088.35	कौशल प्रशिक्षण के तहत 1000 साइकिल और 2700इकाइयां शामिल हैं
31	पश्चिम बंगाल	370030	457444.34	321764.11	साइबरग्राम के तहत 170005 इकाइयां ,इंदिरा आवास योजना के तहत 73519इकाइयां और कौशल प्रशिक्षण के तहत 59490इकाइयां शामिल हैं।
केंद्र सरकार के संगठन					
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	4	10099	10099	-
2	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2587	11926.05	11926.05	-
3	केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी	2	3822.67	3822.67	-
4	नवोदय विद्यालय समिति	1179	32199.67	27930.67	-
5	सिकंदराबाद छावनी बोर्ड	1	38	38	-
	कुल योग	***11,72,693**	**2572839.03**	**1908840.9**	

3.10 राज्यों आदि से समतुल्य हिस्से की अनुपलब्धता के कारण शुरू/पूरा नहीं किए जा सकने वाले प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बयाया कि:

"इस संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।"

3.11 निगरानी तंत्र के संदर्भ में, मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि:

"योजना में पीएमजेवीके के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान किया गया है। ब्लॉक स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से निगरानी की सामान्य श्रृंखला के अलावा, मंत्रालय स्वी''तपरियोजनाओंकेनिर्माणऔरकमीशन की प्रगति की भी निरंतर समीक्षा करता है। इस तरह की समीक्षा राज्य सरकारों के साथ अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को लिखित संचार के माध्यम से, स्टेक होल्डर्स के साथ, सम्मेलनों/बैठकों/चर्चा के माध्यम से, मंत्रालय से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों की निगरानी आदि के माध्यम से

आयोजित की जाती है। मंत्रालय के स्तर पर ऑनलाइन निगरानी मड्यूल, जियो-टैगिंग, डीआईएसएचए डैशबोर्ड और एक स्क्रीनिंग समिति के गठन को शामिल करके तंत्र को और मजबूत किया गया है।".

3.12 यह पूछे जाने पर कि क्या 2022-23 का बजटीय अनुमान प्राप्त प्रस्तावों के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा यदि नहीं, तो मंत्रालय ने अंतर को पूरा करने का प्रस्ताव कैसे दिया, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:

"ईएफसी कैबिनेट ने कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पीएमजेवीके को 9340 करोड़ रु. की मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, ईएफसी/कैबिनेट ने पीएमजेवीके के लिए 1400 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं और बीई चरण में 1390 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे, जिसे आरई चरण में घटाकर 1199.55 करोड़ रु. कर दिया गया था। 2022-23 के लिए, ईएफसी/कैबिनेट ने 1794 करोड़ रु. अनुमोदित किए हैं और बीई स्तर पर 1650 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे। इसलिएईएफसी/कैबिनेट अनुमोदन को देखते हुए 144 करोड़ रु. का आवंटन कम कर दिया गया है। कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय 2022-23 में आरई स्तर पर पीएमजेवीके के लिए अतिरिक्त धन की मांग करेगा।"

3.13 यह पूछे जाने पर कि क्या निर्धारित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और उन्हें पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:

"हाल के दिनों में, आईआईपीए और नीति आयोग द्वारा पीएमजेवीके के संबंध में दो मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। इसके अलावा, परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी आवश्यकता के अनुसार और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के अनुमोदन से प्राप्त होते हैं। चूंकि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए यह साझाकरण पैटर्न पर है जिसमें राज्य को राज्य का बराबर हिस्सा देना होता है। इसके अलावा, राज्य को जमीन देनी होगी और सभी आवर्ती खर्चों को वहन करना होगा।"

3.14 अपने मूल्यांकन अध्ययन में, नीति आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव/सिफारिशें कीं:

(i) खेल और स्वच्छता के क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में जोड़ा जा सकता है क्योंकि खेल सरकार के लिए एक प्राथमिकता क्षेत्र है और स्वच्छता परियोजनाओं को सभी नमूना राज्यों में एक प्रमुख फोकस बताया गया है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि परियोजनाएं सभी राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचनी चाहिए, उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी जिलों, दिल्ली, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में शायद माना जाता है।

(iii) कुछ एमसीए हैं जो योजना के दायरे में नहीं आते हैं। एमसीए को शामिल न करना अनुसंधान का एक क्षेत्र हो सकता है जिस पर मंत्रालय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सहयोग से ध्यान केंद्रित कर सकता है।

(iv) परियोजना की मंजूरी के लिए अनेक महत्वपूर्ण संकेतकों पर परियोजना की जानकारी दर्ज करने के लिए डीपीआर हेतु एक मानक टेम्पलेट विकसित और परिचालित करना।

(v) जागरूकता में कमी को दूर करने और एमसीए में परिसंपत्तियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक आम सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (एसबीसीसी) रणनीति के लिए रूपरेखा।

(vi) संसाधनों की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए नए या मौजूदा निजी संस्थानों को ग्रामीण सुविधाओं से जोड़ने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल।

(vii) एक जागरूकता सृजन योजना विकसित करना जिसे हर महीने या हर तिमाही में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर त्रैमासिक रूप से शिविर आयोजित किए जाएं।

(viii) सीएसएस के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार, इस योजना के तहत 10 प्रतिशत (या अधिक) का फ्लेक्सी-फंड रखा जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक प्रदर्शन से जुड़े वित्त-पोषण मॉडल को अपनाया जा सकता है।

(ix) बेसलाइन सर्वेक्षण करने के लिए ग्राम सभा/स्थानीय निकायों को शामिल करना। वे अपनी आवश्यकताओं की आकलन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तुत की जा सकती है।

(x) राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रमुख गैर सरकारी संगठनों का एक डेटाबेस विकसित कर सकती हैं।

(xi) लाभार्थी स्तर के डेटा का विश्लेषण करने और एमआईएस से प्रगति रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई स्थापित की जा सकती है।

3.15 समिति नोट करती है कि प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती बहु क्षेत्रक विकास कार्यक्रम या एमएसडी) का क्रियान्वयन अभिज्ञात बहुसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना तथा मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य किया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और राष्ट्रीय औसत की तुलना में यहां असंतुलन को कम किया जा सके। एमएसडीपी का शुभारंभ 2008 में किया गया, 2013 में इसकी पुनःसंरचना सामाजिक आर्थिक अवसंरचना के विकास के उद्देश्य की गई और मई, 2018 में इसका नाम प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) किया गया। समिति यह भी पाती है कि जनवरी, 2022 में पुनःसंरचना किए जाने के उपरांत योजना को शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलोन्मुखी परियोजनाओं के साथ खेलकूद, स्वच्छता, सौर ऊर्जा और पर्यटन-सह-कौशल केंद्र के विकास के लिए 117 आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। इस कार्यक्रम में कई प्रकार के क्रियाकलाप आते हैं, तो भी इसमें अभी पूर्ण गति नहीं आ पाई है। समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि मंत्रालय 2021-22 के बजटीय आवंटन का व्यय करने में सक्षम नहीं रही है क्योंकि प्रस्ताव पर अभी भी काम चल रहा है और मंत्रालय 31.12.2021 तक केवल 792.58 करोड़ रुपए जारी की है और कि 1442.59 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 2027.62 करोड़ रुपए की परियोजना प्रक्रियाधीन है। समिति उन कारणों को नहीं समझ पा रही है कि 14 वर्षों से चल रही योजना के बावजूद मंत्रालय प्रस्तावों के समय पर अनुमोदन और शीघ्रता से धनराशि जारी करने के लिए उपयुक्त प्रणाली का विकास नहीं कर पाई है। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय बजटीय संशोधित अनुमान से पीछे चल रहा है। समिति अवश्य चाहती है कि निगरानी की प्रौद्योगिकी और बेहतर डेटा विश्लेषण टूल की उपलब्धता के साथ अब मंत्रालय समय सीमा को शामिल करते हुए एक सुदृढ़ प्रणाली का विकास करें ताकि प्रस्ताव का अनुमोदन और अनुपातिक शेयर दिए गए समय सीमा में जारी किया जा सके।

3.16 समिति नोट करती है कि पीएमजेवीके के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनो के बीच धनराशि के बटवारा के आधार पर सभी राज्यों के लिए 60:40 की औसत से, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड)/ संघ राज्य क्षेत्र में विधान के साथ 90:10 की औसत से और बिना विधान के संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100% शेयर के साथ किया जाता है और केंद्र सरकार के संगठनों को प्राप्त प्रस्तावों पर 100% सहायता दी जाती है। समिति योजना के आरंभ किए जाने से लेकर अब तक मंजूर परियोजनाओं की जांच देखकर आश्चर्यचकित है कि कुछ ही राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार दीप समूह, जम्मू और कश्मीर, केरल तथा तमिलनाडु राज्य हैं जहां अभिज्ञत अल्पसंख्यक बहुल खंडों, अल्पसंख्यक बहुल जिलों और अल्पसंख्यक बहुत शहरों में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या बहुत कम है। समिति यह देख कर भी आश्चर्यचकित है कि मंत्रालय ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संपूर्ण विवरण नहीं दिया है जिन्होंने स्वीकृत परियोजनाओं में अपने शेयर नहीं दिए हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा तमिलनाडु राज्य/संघ राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नहीं दिया है। समिति महत्वपूर्ण सूचनाओं के अभाव में निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। समिति जानना चाहती है कि पिछले 2 वर्षों में मंत्रालय ने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े संग्रहित करने के लिए पत्र/अनुस्मारक भेजने/ बैठक आदि के लिए क्या प्रयास किए हैं। समिति इस बात पर विश्वास करना चाहती है कि जनवरी, 2022 में योजना के पुन:संरचना करने में मंत्रालय को कठिन परिश्रम करना होगा और कि देश में अल्पसंख्यक बहुल वाले सभी जिलों में योजना का कार्य निष्पादन में सुधार होगा। समिति मंत्रालय द्वारा प्रधान

मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत सृजित परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग और मोबाइल एप्लीकेशन के विकास के लिए किए गए पहल की सराहना करती है तथा आशा करती है कि यह स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने तथा प्रस्तावों की रियल टाइम अद्यतन प्राप्त करने में सहायता मिलेगा। समिति चाहती है कि प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई मंत्रालय के श इस पहल को समयबद्ध तरीके से सभी राज्यों में दोहराया जाए, जो फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि वे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को नवीनतम तकनीक के बारे में रिपोर्ट करने और इस योजना से लाभ उठाने के लिए उन्हें कैसे राजी करते हैं।

3.17 समिति नोट करती है कि ईएफसी/कैबिनेट ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु 9340 करोड़ रुपए अनुमोदित किया है। समिति यह देख कर आश्चर्यचकित है कि ईएफसी/कैबिनेट के अनुमोदन की तुलना में 2021-22 और 2022-23 के बजटीय आवंटन में 144 करोड़ रुपए की कमी की गई है क्योंकि कैबिनेट द्वारा 2021-22 में अनुमोदित 1400 करोड़ रुपए की तुलना में बजट चरण में 1480 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जिसे बाद में संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 1199.55 करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति को इस बात पर बहुत ही विश्वास है कि अग्रवर्ती चरण में आवंटन में कमी करने से बचना चाहिए क्योंकि मंत्रालय द्वारा मांगी गई धनराशि का उनके वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए और कम बजट से योजना की उद्देश्यों की प्राप्ति में उन्हें निश्चित रूप से कठिनाई होगी। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ठोस डाटा आधारित विश्लेषण से पुष्टि हो और इस आशय का अपेक्षित कमी विश्लेषण होना चाहिए ताकि वित्त मंत्रालय बजटीय प्रस्तावों का अनुमोदन करने से पहले राजी हो सके। समिति चाहती है कि मंत्रालय नीति आयोग की सिफारिश को तत्काल लागू करें क्योंकि उनके द्वारा संस्तुत योजना के बारे में जागरूकता, योजनाओं की निगरानी, क्षेत्र के लोगों की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करने हेतु ग्रामसभा/स्थानीय निकायों की भागीदारी आदि सिफारिश से 2022-23 के लिए स्वीकृत धनराशि का इष्टतम उपयोग होने सहित योजना के कार्य निष्पादन में काफी सुधार/वृद्धि हो सके।

अध्याय-चार

छात्रवृत्ति योजनाएं

4.1 मंत्रालय छह केन्द्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए तीन छात्रवृत्ति स्कीमों अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल का एक नया एवं नवीकृत रूपांतरण 2016-17 के दौरान आरंभ किया गया है। इस मंत्रालय की उपर्युक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं इस पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। छात्रवृतियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तरीके से विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं।

एक. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

4.2 अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना 30 जनवरी, 2008 को अनुमोदित की गई थी। यह केन्द्र सरकार के 100% वित्त-पोषण वाली केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है। भारत में किसी सरकारी / मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में कक्षा 1 से X में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे योजना के अंतर्गत मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, नवीकरण के अलावा प्रत्येक वर्ष 30 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक चुने गए छात्र को 1000/- रु. से 10,700/- रु. तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

दो. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

4.3 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत नवम्बर, 2007 में की गई थी। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत में आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज सहित किसी सरकारी / मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है। प्रत्येक चुने गए छात्र को 2300/- रु. से 15,000/- रु. तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, वे योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। नवीकरण के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध न हों, तो ये छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं।

तीन. <u>मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना</u>

4.4 2007 में शुरू की गयी मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जो ऐसे छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अनधिक हो। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदानकरने का प्रस्ताव है। इन छात्रवृत्तियों

में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं जो पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर पात्र छात्रों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं। इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए सूचीबद्ध 85 प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थानों में से किसी में भी प्रवेश प्राप्त पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को 20,000 रु. वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके अतिरिक्त दिवा छात्र को 5,000 रु. और छात्रावासी छात्र को 10,000 रु. प्रतिवर्ष की दर से अनुरक्षण भत्ता भी स्वीकार्य है। जिन छात्रों ने किसी उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता-प्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया हुआ है, वे योजना के अधीन पात्र हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना प्रवेश प्राप्त छात्रों के मामले में, नई छात्रवृत्ति के लिए उच्चतर माध्यमिक/स्नातक स्तर पर पिछली अर्हक परीक्षा में कम से कम 50% अंक अर्जित किए होने चाहिएं। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.5 मंत्रालय ने मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्ष 2019-20, 2020-21 के लिए ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया:

योजना	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (15.02.2022 तक)	ब.अ.
मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	1220.30	1199.82	1324.85	1330.00	1330.00	1325.54	1378.00	1378.00	522.93 (38%)	1425.00
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	496.01	482.66	428.77	535.00	535.00	512.81	468.00	468.00	89.35 (19%)	515.00
मेधा सह साधन छात्रवृत्ति	366.43	361.51	285.63	400.00	400.00	396.34	325.00	325.00	142.61 (44%)	365.00

4.6 यह पूछे जाने पर कि वे कौन से कारण हैं जिनके कारण 22-2021के दौरान तीनों योजनाओं में 20-2019और 21-2020की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम रहा, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि:

> "अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 3 छात्रवृत्ति योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की अंतर्निहित संरचना ऐसी है कि छात्रवृत्ति का वितरण से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ही शुरू होता है। पात्र आवेदकों द्वारा आवेदनों के पंजीकरण के लिए पोर्टल जुलाई-अगस्त में खुलता है। पोर्टल पर आवेदनों का पंजीकरण नवंबर-दिसंबर तक जारी रहता है और साथ ही 2 चरणों में सत्यापन प्रक्रिया यानी संस्थान स्तर (एल-1) और जिला/राज्य स्तर (एल-2) पर भी शुरू होती है। सत्यापन प्रक्रिया जनवरी-फरवरी तक जारी रहती है और उसके बाद, योजना-वार मेधा सूची

बनाने से पहले डी-डुप्लीकेशन और सैनिटी चेक की प्रक्रिया लागू की जाती है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

इस वर्ष अर्थात् 2021-22 में पोर्टल 18.08.2021 को खोला गया था और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदनों के सत्यापन की अंतिम तिथि 31.01.2022 और मैट्रिकोत्तर और मेधा-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 15.02.2022 थी। हालांकि, इस साल सभी 3 योजनाओं के तहत नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए वितरण नवंबर, 2021 में शुरू किया गया था और अब तक 32,05,815 सत्यापित नवीनीकरण आवेदनों में से 30,62,346 आवेदनों के लिए भुगतान फाइलें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। नई श्रेणी के तहत छात्रवृत्ति का वितरण फरवरी, 2022 के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसलिए छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वित्तीय उपलब्धि का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के अंत में ही किया जा सकता है।"

4.7 इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को सूचित किया कि: "प्री-मैट्रिक के दो वर्षों के आंकड़ों का कम्पेरिजन दिया है। प्री-मैट्रिक का 28.2.2021, यानी 2020-21 में इसी समय में 212.98 का हुआ था। इसी समय अनुमानित 975 करोड़ रुपये फरवरी के अंत तक प्री-मैट्रिक क्लियर कर देंगे क्योंकि इस बार विगत दो वर्षों में कोविड के कारण नहीं हो पाया।

इस बार हम लोग कोविड का बहाना नहीं कर सकते हैं इसलिए मंत्रालय द्वारा प्रयास करके 212 करोड़ को बढ़ाकर 995 करोड़ रुपये इस फरवरी के अंत तक खर्च कर लेंगे। इसमें अभी तक 750 करोड़ का खर्च हो चुका है बाकी बिल 975 तक हो जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक का लास्ट ईयर फरवरी के अंत तक 131.51 करोड़ था, अभी हम लोगों ने 138 करोड़ कम्पलीट कर दिया है। मेधा कम मीन्स 105 करोड़ था, अभी 206 करोड़ है। इस प्रकार आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो फरवरी के अंत तक मात्र 450 करोड़ और 23 लाख रुपये खर्च हुआ था। इस बार हम 1319 करोड़ रुपये फरवरी के अंत तक खर्च कर लेंगे क्योंकि सारे बिल्स बुक हो चुके हैं, सिर्फ रिलीज करना बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विगत वर्षों में भी 31 मार्च तक पूर्ण धनराशि को हम लोग खर्च कर देते थे। लेकिन यह बिन्दु माननीय समिति के समक्ष विगत वर्ष प्राप्त हुआ था कि लास्ट में आप धनराशि रिलीज करने के पहले शुरू में ही क्यों नहीं रिलीज करते हैं। "

4.8 मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भी समिति के समक्ष जानकारी दी कि:

"...स्कॉलरशिप में लास्ट क्वार्टर में ही सबसे ज्यादा खर्च होता है। अब यह पकड़ में आ गया है। वर्ष 2021-22 में बीई में कटौती 500 करोड़ हुई है। पहले 4810 करोड़ बजट में था और आरई स्टेज पर 4346 करोड़ हो गया। इसके मुकाबले 16 फरवरी को खर्च 2342 करोड़ तक हो चुका है जो 53.8 परसेंट है। फरवरी एंड तक हम 70 परसेंट क्रास कर जाएंगे। हम मंथली कंट्रोल रखते हैं और अब काफी मिलता है।"

4.9 मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के दौरान योजना वार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां और **2022-23** के लिए वास्तविक लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	योजनाएं	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23
		लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	30 लाख नई +नवीनीकरण	55.68 लाख	30लाख नई +नवीनीकरण	52.29 लाख	30लाख नई +नवीनीकरण	दिया जाना शेष	30लाख नई + नवीनीकरण
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	5 लाख (नई) + नवीनीकरण	7.43 लाख	5लाख (नई) + नवीनीकरण	6.63 लाख	5लाख (नई) + नवीनीकरण	दिया जाना शेष	5लाख (नई) + नवीनीकरण
3.	मेधा-सह-साधन आधारित छात्रवृत्रि	0.60 लाख (नई) + नवीनीकरण	1.18 लाख	0.60 लाख (नई) + नवीनीकरण	1.20 लाख	0.60 लाख (नई) + नवीनीकरण	दिया जाना शेष	0.60 लाख (नई) + नवीनीकरण

4.10 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय 20-2019और 21-2020के दौरान तीन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत उपलब्धियों में गिरावट को कैसे सही ठहराता है और 22-2021के दौरान उन्हें कब तक और कितने प्रस्ताव प्राप्त होने की उम्मीद है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"उल्लेखनीय है कि 3छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रत्येक योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य कीदृष्टि से वास्तविक उपलब्धियों में कोई कमी नहीं आई है। नवीनीकरण लाभार्थियों की संख्या निश्चित नहीं है बल्कि प्रतिबद्ध देयता के रूप में मानी जाती है। मामूली कमी, यदि कोई हो, केवल वित्तीय उपलब्धियों के संदर्भ में देखी गई है क्योंकि कुछ चयनित आवेदकों के मामले में, उनके बैंक खाते या तो उनके संबंधित बैंकों द्वारा मान्य नहीं हैं या विभिन्न कारणों जैसे कि खाता बंद/निष्क्रिय होने, खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशि होने, आईएफएससी/खाता संख्या में परिवर्तन, केवाईसी में समस्या, अमान्य खाता प्रकार, निष्क्रिय खाता आदि के कारण उनके बैंकों द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान वापस कर दिया गया है। ऐसे सभी आवेदनों पर उनके बैंक विवरण को अद्यतन करने के पर्याप्त अवसर देकर आगे कार्रवाई की जाती है ताकि उनकी छात्रवृत्ति को फिर से आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रक्रिया में कई हितधारकों के शामिल होने के कारण काफी समय लगता है।

वर्ष 22-2021के लिए आवेदनों का पंजीकरण बंद कर दिया गया है और 3योजनाओं के तहत 35,60, 00के संयुक्त वार्षिक लक्ष्य के अधीन नई श्रेणी के तहत 66,15, 006आवेदन प्राप्त हुए हैं। नवीनीकरण के संबंध में पिछले वर्ष यानी 21-2020में 27,80, 579आवेदनों की तुलना में अब तक 3योजनाओं के तहत 32,05, 815आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है।"

4.11 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय पिछले तीन साल यानी 20-2019 से 21-2020के बीच अपने प्रदर्शन से संतुष्ट है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

"अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी 3योजनाओं के लिए 'नई श्रेणी' के तहत वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इसी प्रकार नवीनीकरण श्रेणी के अंतर्गत अंतिम रूप से सत्यापित सभी आवेदनों को भुगतान के लिए अनुमोदित किया गया।"

4.12 तीन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत बजटीय आवंटन 23-2022के लिए तीन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत मांगों के मुकाबले काफी कम कर दिए जाने के विषय में समिति को दिए गए लिखित उत्तर में मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"यह उल्लेख किया जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं की मांगें23-2022 और उसके बाद इन योजनाओं को जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति)सीसीईए (की अपेक्षित मंजूरी के आधार पर बनाई गई थी। हालांकि, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित अन्य समान योजनाओं के साथ-साथ मंत्रियों के समूह)जीओएम (द्वारा जांच की जा रही है। इसलिए ईएफसी ने बिना किसी बदलाव के सिर्फ 22-2021के लिए योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है।"

4.13 मैट्रिक पूर्व योजना में **2020-21** में रिपोर्ट किए गए धन के गबन के आरोपों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान सूचित किया कि:

"असम, झारखंड, बिहार, पंजाब और छत्तीसगढ़ में जांच हुई थी। छत्तीसगढ़ और पंजाब से एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और तीन अन्य राज्यों से प्राप्त नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मैं उसे पढ़ना चाहती हूं।छत्तीसगढ़ और पंजाब में किसी प्रकार की अनियमितता प्राप्त होने की कोई खबर नहीं आई। उनकी जांच के पश्चात् पाया गया है कि जो शिकायतें हुई हैं, वे फॉल्स और बेसलैस हैं। हम बाकी तीन रिपोर्ट्स के लिए प्रतीक्षा में हैं और कई बार उनको रिमाइंडर भी दिए जा चुके हैं। हम छ: लैटर्स भेज चुके हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी।"

4.14 मंत्रालय ने जानकारी दी कि आईआईटी दिल्ली ने इन तीन छात्रवृत्ति योजनाओं का मूल्यांकन किया था। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ जागरूकता, संस्थान नोडल अधिकारियों (आईएनओ) के प्रशिक्षण, प्रक्रिया अवधि में कमी, मोबाइल एप्लिकेशन, दर में वृद्धि और छात्रवृत्ति की मदों के बारे में कई सिफारिशें की थीं जो इन स्कीमों के नए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए विचाराधीन हैं।

4.15 समिति पाती है कि 2019-20, 2020-21 और 2022-23 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सभी तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नाम: मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्चात और मेधा-सह-साधन योजना के तहत किए गए बजट आवंटन/व्यय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत में 2019-20 और 2020-21 में वास्तविक व्यय क्रमशः 1,324.85 करोड़ रुपए और 1,325.54 करोड़ रुपए था। इसी तरह, मैट्रिक पश्चात छात्रवृति योजना के तहत 2019-20 और 2020-21 में वास्तविक व्यय क्रमश: 428.77 करोड़ रुपए और 512.81 करोड़ रुपए था जबकि मेधा-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के तहत 2019-20 और 2020-21 में वास्तविक व्यय 285.63 करोड़ रुपए और 396.34 करोड़ रुपए था। समिति यह देख कर क्षुब्ध है कि सभी तीनों योजनाओं के तहत 2022-23 के लिए बजटीय अनुमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है और प्रत्येक तीनों योजनाओं के तहत नियत लक्ष्य भी वही रहे हैं। दिए गए बजटीय आवंटन/व्यय से समिति यह दृढ़ मत बनाती है कि योजनाओं के कार्य निष्पादन में और सुधार किए जाने की जरूरत है क्योंकि लाभार्थियों की संख्या नहीं बढ़ी है और इसके विपरीत मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजनाओं में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में उनकी संख्या कम हुई है। इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय अल्पसंख्यक जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए लक्ष्य नियत करें ताकि छात्रों की कवरेज को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, समिति इस बात को पुरजोर ढंग से दोहराती है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखकर यथाशीघ्र आय मानदंड को संशोधित किया जाए क्योंकि नियत आय सीमा से कई विद्यार्थी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।

4.16 समिति मंत्रालय के साक्ष्य निराश है कि वर्ष की अंतिम तिमाही में निधियों का वितरण योजनाओं के कार्यान्वयन के उनकी अंतर्निहित संरचना के कारण है। समिति को इस बात का बहुत ही विश्वास है कि ठोस प्रयासों से इस प्रवृत्ति को बदला जा सकता है क्योंकि छात्रवृत्ति उसी शैक्षणिक वर्ष में दी जानी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि के वितरण में विलंब होने से अल्पसंख्यक छात्रों का भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अधिकांश छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ सकते हैं। इसलिए, समिति मानती है कि मंत्रालय को प्रक्रिया के संशोधन पर चर्चा, विशेषज्ञ की राय और नवीन विचार करने की तत्काल जरूरत है क्योंकि पंजीकरण/सत्यापन में लगने वाला समय बहुत ही ज्यादा है और इसे कम किए जाने की जरूरत है। पूर्व में समिति ने सुझाव दिया था कि छात्रवृत्ति योजनाओं पर विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनो में निहित सिफारिशें योजनाओं के कार्य निष्पादन को बहुत हद तक सुधार सकती है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय इन सिफारिशों की तत्काल जांच करें और योजनाओं के नए दिशानिर्देशों में उन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य के दौरान समिति को बताया गया की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के मामलों की जांच रिपोर्ट असम, झारखंड और बिहार राज्य से अभी प्राप्त होना है। समिति चाहती है कि इन राज्य सरकारों को जांच प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाए। समिति इसके निष्कर्षों और मंत्रालय द्वारा उन पर की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

अध्याय – पांच

नया सवेरा (नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं)

5.1 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की "नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना" 17 जुलाई, 2007 को शुरू की गई थी, जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों/उम्मीदवारों को तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, रेलवे आदि सहित केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन समूह'क', 'ख', और 'ग'सेवाओं और अन्य समतुल्य पदों पर भर्ती के लिए कोचिंग प्रदान कर के अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों/उम्मीदवारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी।"

5.2 यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रों/उम्मीदवारों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए चयनित कोचिंग संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता के साथ सीधे कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम में लक्ष्य का 30% लड़कियों के लिए निर्धारित करने का भी प्रावधान है। निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत एक नया घटक विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान और / अथवा गणित) के साथ XI और XII कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्रों की अभिकेंद्रित तैयारी के लिए वर्ष 2013-14 से जोड़ा गया है। संशोधित योजना में जिन छात्रों ने विज्ञान विषयों के साथ XII कक्षा 75% अंकों के साथ पास की है, उनके लिए एक वर्ष का आवासीय कोचिंग कार्यक्रम भी जोड़ा गया है। इस योजना को सितंबर, 2017 से संशोधित किया गया है और संशोधित योजना के अनुसार, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के केवल वही छात्र / अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होंगे जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 6.00 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है।

5.3 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय के साथ-साथ 2022-23 के लिए ब.अ. के विवरण इस प्रकार हैं:-

2019-20				2020-21				2021-22				अपेक्षित वर्षवार कमी/अधिकता का %	ब.अ. 2022-23
ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	कमी/अधिकता, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारण के साथ	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	कमी/अधिकता, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारण के साथ	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (31.12.2021 तक)	कमी/अधिकता, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारण के साथ		
75.00	40.00	13.97	पिछले वित्तीय वर्षों में पीआईए को किए गए आबंटनों के दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत न किए जाने के कारण उन्हें लक्ष्य आबंटित न किया जाना।	50.00	25.00	18.44	कोविड-**19** कारण सितंबर, **2020** तक कोचिंग कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका।	79.00	39.35	18.22	निधियां अभी जारी की जानी हैं।	2019-20 81.37% 2020-21 63.12% 2021-22 76.94%	79.00

5.4 वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां और 2022-23 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

2019-20			**2020-21**			**2021-22**			**पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियों का प्रतिशतता**	
लक्ष्य	**उपलब्धि**	कमी/अधिकता, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारण के साथ	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	कमी/अधिकता, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारण के साथ	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	कमी/अधिकता, यदि कोई हो, संक्षिप्त कारण के साथ		**2022-23** लक्ष्य
12,000	9,580	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए आवंटन के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण लक्ष्य का आबंटन न होना।	10,000	5300	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण सितंबर, 2020 तक कोचिंग कार्यक्रम शुरू नहीं किए जा सके।	10,000	5,140		66.37%	12000 विद्यार्थी

5.5 यह पूछे जाने पर कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से 21-2020 ,20-2019और 22-2021के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम था और मंत्रालय 23-2022के दौरान योजना के तहत निधि आवंटन को कैसे खर्च करने की उम्मीद करता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ जानकारी दी कि:

"नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना के तहत कोचिंग संस्थानों/संगठनों)पीआईए (को योजना को लागू करने के लिए अग्रिम रूप से कोचिंग फीस का %50 और वजीफा राशि का 50% सहित पहली किस्त जारी की जाती है। पीआईएको कोचिंग कार्यक्रम को पूरा करने और छात्रों को शेष राशि का संवितरणअपने स्वयं के स्रोतों से करने की आवश्यकता होती है।

हालांकि, विभिन्न कारणों से उनके प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में कुछ देरी हुई थी जैसे कि पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के कार्यान्वयन में समस्याएं, जिसे पहली बार 19-2018में शुरू किया गया था। कुछ पीआईए ने यह भी सूचित किया कि या तो ग्रुप बी/सी सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी या परिणाम समय पर घोषित नहीं किए गए थे। इसके कारण पीआईए 20-2019 में यूसी और कोचिंग कार्यक्रम के परिणाम जमा नहीं कर पाई। इसलिए 19-2018की दूसरी किस्त 20-2019में जारी नहीं की जा सकी।

वर्ष 20-2019में 87पीआईए को 9580छात्रों को कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान इस शर्त के साथ किया गया था कि 20-2019के लिए पहली किस्त उनके पिछले कार्यक्रम के खातों के निपटान के बाद ही जारी की जाएगी यानी 18-2017और 19-2018से संबंधित दूसरी किस्त जारी करना। चूंकि दूसरी किस्त जारी करना,व्यय अग्रिम और हस्तांतरण)ईएटी (मॉड्यूल के उपयोग, कोचिंग कार्यक्रम के निर्धारित परिणाम, राज्य सरकार/राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) आदि की संतोषजनक रिपोर्ट यूसी सहित विभिन्न दस्तावेजों को जमा करने से जुड़ा हुआ हैतथा प्रस्तावों की जांच करने और सक्षम प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदन लेने के कारण इसलिए इसमें काफी समय लगता है। उपरोक्त कारणों से योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया।

21-2020में, उपरोक्त कारणों के अलावा, चल रही महामारी के कारण, वर्ष के दौरान लंबी अवधि के लिए कोचिंग कार्यक्रम प्रभावित हुए, जिससे योजना के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या कम हो गई। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020और 2021में कोचिंग कक्षाएं बाधित थीं। इसलिए पीआईए21-2020 में पहली किस्त का दावा करने के लिए 20-2019के कोचिंग कार्यक्रम की प्रगति नहीं दिखा सके। कोविड 19-महामारी के कारण विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन में देरी हुई और बाद में परिणामों की घोषणा में देरी कुछ अन्य प्रमुख मुद्दे हैं, जिसके कारण योजना के तहत वास्तविक उपलब्धि में कमी के साथ-साथ कम खर्च भी हुआ।

वर्ष 22-2021के लिए, आरई 39करोड़ रु .है, 10.2.2022तक, 32.49करोड़ रु .का उपयोग किया गया है और उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक 39करोड़ रु .की पूरी राशि का उपयोग किया जाएगा।

योजना को नवंबर, 2021से आफलाइन माध्यम से लागू किया जा रहा था। अब योजना के आनलाइन कार्यान्वयन हेतु एक आनलाइन पोर्टल बनाया गया है और योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए 7-6विशेषज्ञों से युक्त अर्न्स्ट एंड यंग का एक पीएमयू स्थापित किया गया है। योजना को इसके सुचारू कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संशोधन करते हुए संशोधित किया जा रहा है।

उपरोक्त को देखते हुए, वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित धनराशि उपयुक्त प्रतीत होती है और मंत्रालय 2022-23 में पूरी राशि खर्च करने में सक्षम होगा।"

5.6 यह पूछे जाने पर कि कोचिंग के लिए छात्रों/अभ्यर्थियों का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किन मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है और उन्हें अंतिम बार कब प्राप्त किया गया था और उन्हें फिर से कब संशोधित करने का प्रस्ताव है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

"योजना के तहत सरकारी या गैर-सरकारी दोनों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को चयन समिति के समक्ष विचारार्थऔर संस्थानों को पैनल में शामिल करने और योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्रों के आवंटन की संख्या के लिए सिफारिश हेतु रखा जाता है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का आवंटन कई कारकों पर आधारित होता है जैसे प्रस्तावित केंद्र में उपलब्ध बुनियादी ढांचा सुविधा ,पीआईए का अनुभव ,पीआईए द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम , योजना के तहत आवंटन की पिछली संख्या ,राज्य में कुल आवंटन की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित छात्रों की संख्या आदि।

18-2071में पीआईए को पैनल में शामिल किया गया और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए। बाद के वर्षों में पीआईए के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है और पात्र PIA को आवंटन किया गया है। 22-2021के दौरान 37पीआईए को 5140छात्रों का आवंटन किया गया है।

अप्रैल 23-2022 ,से आगे जारी रखने के लिए योजना की मंजूरी बाकी है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार नया पैनल और छात्रों का आवंटन किया जाएगा।"

5.7 वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार कोचिंग संस्थानों/संगठनों को देय कोचिंग फीस की दर और छात्रों को देय वजीफा राशि नीचे दी गई है:-

कोचिंग के प्रकार	प्रति उम्मीदवार कोचिंग शुल्क	प्रति छात्र प्रति माह वजीफा की राशि	अवधि
सिविल सेवा परीक्षाओं की समग्र तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग कार्यक्रम	जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित है, अधिकतम 1.00 लाख रुपये से कम	वजीफे की राशि भुगतान नहीं होता है। आवासीय कार्यक्रम मुफ्त बोर्डिंग और आवास के साथ होता है।	9 महीने
समूह 'क' सेवाएं	जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित हो, 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन/	₹ 2500/- प्रति माह	6 महीने
तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित हो, 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन/	₹ 2500/- प्रति माह	6 महीने
समूह 'ख' सेवाएं	जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित हो, 30,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन/	₹ 2500/- प्रति माह	4 महीने

समूह 'ग' सेवाएं	जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित हो, रु. 20,000/ की अधिकतम सीमा के साथ	Rs. 2500/- प्रति माह	3 महीने
नया घटक - 1 (कक्षा XI और XII के विज्ञान विषयों के लिए दो वर्षीय केंद्रित कोचिंग)	जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रति शैक्षणिक वर्ष में 1.0 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन	वजीफे की किसी राशि का भुगतान नहीं होता। आवासीय कार्यक्रम मुफ्त बोर्डिंग और आवास के साथ।	8-10 महीने (प्रति वर्ष अकादमिक वर्ष)
नया घटक - 2 (विज्ञान विषयों के साथ कक्षा XII पास छात्रों के लिए एक साल केंद्रित कोचिंग)	जैसा कि संस्थान द्वारा निर्धारित हो, 1.0 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन	वजीफा की किसी राशि का भुगतान नहीं होता। आवासीय कार्यक्रम मुफ्त बोर्डिंग और आवास के साथ।	10 महीने

5.8 जहां तक तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोचिंग प्रदान करने हेतु कोचिंग संस्थानों के चयन हेतु निर्धारित मानदंड का प्रश्न है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि नि:शुल्क कोचिंग योजना को पैनल में शामिल कोचिंग संस्थानों/संगठनों (पीआईए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के तहत कोचिंग संस्थानों के पैनल में शामिल होने के मानदंड निम्नलिखित हैं:

क. पीआईए को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/1860 ,कंपनी अधिनियम 2014 ,या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए।

ख. प्रत्येक वर्ष और पिछले 3वर्षों में पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 100छात्रों के नामांकन के साथ पंजीकरण न्यूनतम 3वर्षों के लिए होना चाहिए।

ग. पीआईए के पास अपने वेतन नामावली या अंशकालिक आधार पर आवश्यक संख्या में संकाय होने चाहिए।

घ. पीआईए के पास परिसर ,पुस्तकालय ,अपेक्षित उपकरण आदि जैसी आवश्यक अवसंरचना होनी चाहिए।

ङ. कोचिंग संस्थानों के लिए आवेदन किए गए कोचिंग पाठ्यक्रमों के अनुसार न्यूनतम सफलता दर %20या %15होनी चाहिए। नए घटक I-और IIके मामले में ,सफलता दर इसके संबद्ध खंड के साथ %30होनी चाहिए।

च. कार्यान्वयन एजेंसियों को नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

छ. संस्थानों को किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो।

ज. संस्थानों को किसी भी समय सरकार के किसी भी विभाग या निकाय द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।

झ. निजी कोचिंग संस्थानों के संबंध में प्रस्ताव के साथ कोचिंग सेंटर के वास्तविक निरीक्षण के बाद संबंधित राज्य सरकार/जिला प्राधिकरण से सिफारिश अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाती है।

5.9 यह पूछे जाने पर कि कोचिंग संस्थान को दिए जाने वाले प्रति व्यक्ति व्यय को कब संशोधित किया गया और क्या यह बड़े शहरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में जानकारी दी कि:

" 18-2017के दौरान योजना की समीक्षा की गई और योजना के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग शुल्क में उपयुक्त रूप से वृद्धि की गई। गैर-आवासीय पाठ्यक्रम के लिए कोचिंग शुल्क को छह महीने के पाठ्यक्रमों के लिए 20, -/000रु .से बढ़ाकर 50, -/000रु .और 4महीने और 3 महीने के पाठ्यक्रमों के लिए 15, -/000रु. से बढ़ाकरक्रमशः 30, -/000रु .और -/20000रु .कर दिया गया है।

इसके अलावा ,इस योजना का मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ,(IIPA)नई दिल्ली द्वारा 21-2020के दौरान किया गया था। आईआईपीए ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि वर्तमान शुल्क संरचना को प्रचलित बाजार दरों के दायरे में लाने की जरूरत है ताकि लाभार्थी छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को काम पर रखा जा सके। तदनुसार ,प्रस्तावित एसएफसी/ईएफसी में कोचिंग शुल्क और विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम अवधि को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा रहा है जो PIA के अगले पैनलीकरण से प्रभावी होगा।"

5.10 यह पूछे जाने पर कि क्या 23-2022के लिए बजटीय आवंटन योजना के व्यय दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"संभव है कि 23-2022के लिए 79.00करोड़ रु .का बजटीय आवंटन योजना के व्यय दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। तथापि, यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा। इस योजना को अभी ईएफसी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

इसके अलावा ,मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल)एक ऐप के साथ (विकसित करने का प्रस्ताव भी है ,जिसमें उत्तर के साथ मुफ्त अभ्यास प्रश्न ,मुफ्त अध्ययन सामग्री शामिल होगी। एक कोचिंग संस्थान की मदद से एक आईटी फर्म द्वारा न्यूनतम लागत पर ऐप/सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। इसे नया सवेरा पोर्टल पर एकीकृत किया जाएगा और सभी छात्रों को पोर्टल पर निर्धारित दस्तावेज जमा करके पंजीकरण करना होगा। इससे मंत्रालय को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का अखिल भारतीय स्तर पर डेटा प्राप्त करने और अल्पसंख्यक छात्रों में राष्ट्रव्यापी उत्साह पैदा करने में भी मदद मिलेगी।"

5.11 मूल्यांकन अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं:

एक. निगरानी प्रणाली को योजना कार्यान्वयनकर्ताओं के स्तर पर तैयार करने की आवश्यकता है अर्थात् कोचिंग संस्थान, मंत्रालय और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी (डीएमओ)।

दो. सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/कलेजों को भी इस योजना में एकीकृत किया जाना चाहिए। मंत्रालय कुछ सरकारी संस्थानों को कार्यान्वयन कर्ता एजेंसियों के रूप में भागीदार बनाने के लिए नामित कर सकता है।

तीन. कोचिंग केंद्रों द्वारा मंत्रालय को सूचित सफलता दर द्वितीय किस्त जारी करने से पहले एक अनिवार्य वास्तविक सत्यापन की आवश्यकता है।

चार. कोचिंग क्लासरूम, शौचालय, बैठने की व्यवस्था आदि की कमी पाई गई। इस प्रकार, कोचिंग केंद्रों के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता आधारित आवधिक निगरानी भी की जा सकती है।

पाँच. जैसा कि अधिकतर छात्रों की इच्छा थी, योजना के तहत कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर आठ महीने करने की आवश्यकता है। इसकी योजना के तहत कोचिंग प्राप्त करने वाले अधिकांश छात्रों द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी।

छः. यह सलाह दी जाती है कि वजीफे की राशि को मंत्रालय से लाभार्थियों के खातों में बिना किसी देरी के सीधे भेज दिया जाना चाहिए।

सात. मेधावी छात्रों के चयन के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) जैसी संस्था के माध्यम से प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है। इससे मेधावी छात्रों को योजना के तहत मुफ्त कोचिंग का लाभ मिल सकेगा।

आठ. संभावित लाभार्थियों के पूल को बढ़ाने के लिए सभी संभावित मीडिया प्लेटफार्मों, मंत्रालय की वेबसाइटों और राज्य सरकारों की वेबसाइटों का उपयोग प्रचार मंच के रूप में किया जा सकता है।

नौ. परीक्षाओं में कोचिंग शुल्क अलग-अलग होता है।इसे समान बनाने की आवश्यकता है। इसे प्रचलित बाजार दरों की सीमा में लाने की भी आवश्यकता है ताकि लाभार्थी छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षकों को काम पर रखा जा सके।

5.12 समिति नोट करती है कि तकनीकी/ पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा समूह 'क', 'ख' और 'ग' सेवाओं में भर्ती, आदि के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करने हेतु अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को सहायता देने के उद्देश्य से जुलाई, 2007 में 'नया सवेरा' योजना शुरू की गई थी। तथापि, समिति पाती है कि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान वास्तविक व्यय बहुत कम हुआ क्योंकि वे 75.00 करोड़ रुपए, 50.00 करोड़ रुपए और 79.00 करोड़ रुपए के बजट आवंटन में से तीन वर्षों के दौरान क्रमशः केवल 13.97 करोड़ रुपए, 18.44 करोड़ रुपए और 18.22 करोड़ रुपए व्यय कर सके। समिति मानती है कि योजना के क्रियान्वयन के प्रति विभाग के दृष्टिकोण में गंभीरता प्रतीत नहीं होता है क्योंकि बजट आवंटन/लक्ष्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। प्रस्तावों/उपयोग प्रमाण पत्रों के प्रस्तुति में विलंब जैसे योजना के धीमी प्रतिक्रिया के लिए मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात प्रक्रियात्मक चूक मंत्रालय का खराब चित्र प्रस्तुत करता है। समिति यह भी मानती है कि शायद योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है। चूंकि योजना में संशोधन के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन पोर्टल का विकास, परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना जैसे कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, इसलिए समिति आशा करती है कि प्रचार संबंधी मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाए ताकि योजना के कार्य निष्पादन में सुधार हो। समिति संशोधित योजना में प्रस्तावित परिवर्तनों के परिणाम जानना चाहेगी।

5.13 समिति पाती है कि प्रतियोगी वातावरण में वजीफा की राशि और कोचिंग की अवधि छात्रों, विशेषकर बड़े शहरों में छात्रों की आज की जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त है। समिति आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए 3 से 9 माह की अवधि वाले कोचिंग के प्रावधान के उद्देश्य को समझ पाने में असमर्थ है। इसी तरह, नियत वजीफा की राशि और नियत कोचिंग शुल्क नामी कोचिंग संस्थानों के उच्च कोचिंग दरों के समतुल्य नहीं है। समिति यह नोट कर खुश है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने योजना के मूल्यांकन अध्ययन में वर्तमान शुल्क संरचना और अवधि को संशोधित करने की सिफारिश की है और इसलिए, इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा रहा है तथा परियोजना कार्यान्वियन एजेंसियों के अगली सूची से प्रभावी होगा। परियोजना कार्यान्वियन एजेंसियों के अगली सूची को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों को देखते हुए समिति आशा करती है कि परियोजना कार्यान्वियन में एजेंसियों के सामूहिक चयन में उचित इमानदारी बरती जाएगी और परियोजना कार्यान्वियन एजेंसियों के चयन के लिए निर्धारित मानकों का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा। समिति सिफारिश करती है कि आय संबंधी मानक सहित शुल्क संरचना तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम अवधि के संशोधन के लिए उपयुक्त प्रणाली अपनाई जा सकती है ताकि अधिकतम संख्या में छात्रों को शामिल किया जा सके। छात्रों के लिए प्रस्तावित ऑनलाइन मॉड्यूल जैसे विभिन्न पहलओं और कार्यान्वियनकर्ता द्वारा निगरानी प्रणाली का विकास, सरकारी और निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की भागीदारी, सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों को एकमुश्त अनुदान, छात्रों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा, आदि जैसे मूल्यांकन अध्ययन में निहित सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जा सकती है कि इसके योजनाओं पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। समिति चाहती है कि सिफारिश के कार्यान्वियन के संबंध में मंत्रालय को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे परियोजना कार्यान्वियन एजेंसियों के अगली सूची के साथ अनुपालन किया जाए। समिति चाहती है कि मंत्रालय के की गई कार्रवाई टिप्पणी में पिछले तीन वर्षों के लिए योजना के तहत जारी निधि और लाभार्थियों का राज्यवार डाटा के साथ छात्रों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल के विकास करने सहित योजना के कार्यान्वियन की स्थिति से उसे अवगत कराया जाए।

अध्याय-छ:

मदरसों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए योजना (एसपीईएमएम)

6.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना (एसपीईएमएम) कार्यान्वित कर रहा है जिसमें 01.04.2021 से मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) नामक 2 उप-योजनाएं शामिल हैं। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती है, दोनों ही योजनाएं स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। सोलह राज्यों नामत: बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमबंगाल, सिक्किम, मिजोरम ने अब तक इस योजना के तहत लाभ उठाया है। इस योजना को 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

6.2 स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार दोनों स्कीमों के अंतर्गत सभी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिन पर पीएबी (परियोजना अनुमोदन बोर्ड) द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आठ राज्यों नामत: बिहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने एसपीक्यूईएम के तहत अपने प्रस्ताव भेजे हैं जबकि 4 राज्यों नामत: यूपी, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम ने आईडीएमआई के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

6.3 मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की स्कीम (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत ऐसे मान्यताप्राप्त मदरसों को निधियां प्रदान की जाती हैं जो इस उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य या केन्द्रीय बोर्ड से संबद्ध हैं कि मदरसों को अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिससे इन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अकादमिक दक्षता प्राप्य हो। एसपीक्यूईएम के अंतर्गत मदरसों के शिक्षकों को मानदेय के भुगतान और पुस्तकालय, गुणवत्ता हस्तक्षेप, स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं आदि जैसे अन्य गुणवत्ता घटकों, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर मदरसा शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और राज्य मदरसा बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

6.4 अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं (प्रारंभिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों) में स्कूल अवसंरचना में वृद्धि और सुदृढ़ीकरण करके अल्पसंख्यकों की शिक्षा को सुकर बनाने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

6.5 शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को योजनाओं के हस्तांतरण से पहले योजना उपलब्धियों के संबंध में मंत्रालय ने जानकारी दी कि शिक्षा मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में योजना के हस्तांतरण से पहले जारी राशियां/ उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

क. एसपीक्यूईएम

रु. लाख में

क्र. सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	छत्तीसगढ़	684.72	649.57	209.67	-	336.055

2	झारखंड	-	148.14	-	-	-
3	मध्य प्रदेश	1526.7	846.74	567.123	-	586.847
4	त्रिपुरा	-	320.50	147.60	445.44	442.15
5	उत्तर प्रदेश	8089.1	5543.56	491.444	5912.808	18516.02
6	उत्तराखंड	393.47	251.02	51.84	-	830.82
	कुल	**10693.99**	**7759.54**	**1467.677**	**6358.248**	**20711.892**

ख. आईडीएमआई

रु. लाख में

क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	हरियाणा	-	-		278.44	-
2	कर्नाटक	11.435	-			-
3	केरल	3.75	2804.517	31.685	25.81	-
4	मणिपुर	-	-	25.00		-
5	मध्य प्रदेश	-	-		31.05	-
6	महाराष्ट्र	-	60.00			44.485
7	नगालैंड	8.625	8.625			-
8	उत्तराखंड	-	7.13			120.02
9	सिक्किम	51.525	149.37		148.74	-
10	मिजोरम	129.06	-	82.39	251.77	4.875
11	उत्तर प्रदेश	20.6	-	218.25		542.51
12	राजस्थान	-	-	-	-	4.50
	कुल	**225.00**	**3029.642**	**357.3275**	**735.81**	**716.39**

6.6 मंत्रालय के पृष्ठभूमि नोट से यह पता चलता है कि 2021-22 के लिए सं.अ. चरण में 174.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और 2022-23 में 160.00 करोड़ रुपये का बजटीय अनुमान किया गया है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत अभी तक कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है और इस योजना में संशोधन किया जा रहा है।

6.7 वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत निधि की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित जानकारी दी:

"चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 में 8 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक दिनांक 30.11.2021 को आयोजित की गई थी और स्वीकृत राशि का केन्द्रीय अंश सहित विवरण नीचे दिया गया है:-

एसपीक्यूईएम के तहत:

लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य	कुल स्वीकृत राशि		केंद्र के हिस्से के रूप में पहली किस्त जारी
		केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	
1	उत्तर प्रदेश	12020.832	8013.888	5304.33521
2	मध्य प्रदेश	1466.25	977.5	733.125
3	झारखंड	106.272	70.848	37.116
4	बिहार	249.4284	166.2856	शीघ्र ही राशि जारी होने की संभावना
5	उत्तराखंड	517.626	57.14	258.813
6	त्रिपुरा	476.5877	52.954	238.29385
7	राजस्थान	2678.73	1785.82	485.125
8	छत्तीसगढ़	547.77	365.18	273.885
	कुल	**18063.496**	**11489.99**	**7330.69306**

आईडीएमआई के तहत: 5 राज्यों ने आईडीएमआई के तहत प्रस्ताव नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अग्रेषित किया है:-

क्र.सं.	राज्य	प्रस्तावित स्कूलों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	58
2	महाराष्ट्र	04
3	मिजोरम	31
4	त्रिपुरा	12
5	मणिपुर	17
	कुल	122

आईडीएमआई के तहत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक फरवरी, 2022 में ही होगी।"

6.8 वर्ष 2022-23 के लिए 890.00 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान के कारणों, जबकि विशेष रूप से मंत्रालय 2021-22 के लिए बजट आवंटन से कोई खर्च नहीं कर सका, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

" 23-2022के लिए 890.00करोड़ रु .का बजटीय अनुमान किया गया है, क्योंकि समग्र शिक्षा के निम्नलिखित घटकों को शामिल करके योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव था- :

क्र.सं.	घटक
1	**गुणवत्ता घटक:**
(I)	**शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम:**

	(क (उपचारात्मक शिक्षण)III-V)
	(ख (एलईपी/उपचारात्मक शिक्षण)VI-VIII)
	(ग (शिक्षक डायरी
	(घ (व्यापक प्रगति रिपोर्ट कार्ड
(II)	**पुस्तकालय अनुदान-:** **(क (पुस्तकालय अनुदान**)I-V)
	(ख (पुस्तकालय अनुदान (I-VIII)
(III)	**मदरसा स्कूल स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम -:**मदरसा स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रम
(IV)	**मीडिया और सामुदायिक लामबंदी:**)क (कोविड- 19को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम
	(ख (एसएमसी/एमएमसी प्रशिक्षण
(V)	शिक्षक पहचान पत्र
(VI)	**आरटीई पात्रताएं-:**
	नि:शुल्क पुष्टि, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, सामुदायिक संघटन, मध्याह्न भोजन।
(VII)	**परियोजना नवाचार:** **(क(** सांस्कृतिक कार्यशाला
	(ख(इको क्लब
	(ग (आत्मरक्षा प्रशिक्षण
	(घ (टीएलएम पार्क
	(ङ) फन एंटरटेनमेंट पार्क
	(च) खेल और शारीरिक शिक्षा
(VIII)	**समग्र मदरसा स्कूल अनुदान-:** **(क (**नामांकन)1-15)
	(ख (नामांकन (100-16)@ 25, -/000प्रत्येक
	(ग (नामांकन)101-250) @ 50,000/- प्रत्येक
(IX)	**राष्ट्रीय आविष्कार अभियान:** **(क (**50,000/-रु .की दर से 5 जिलों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
	(ख (50 मदरसा स्कूलों के लिए मदरसा स्कूलों के साथ 3000/-रु .प्रति मदरसा स्कूल के साथ जुड़ना।
	(ग (विज्ञान किट @ 9,656/- रु .प्रत्येक
	(घ (गणित किट @ 10,661/ -रु.प्रत्येक
	(ङ (3450 छात्रों के लिए राज्य के भीतर भ्रमण यात्रा @ 200/ -रु.प्रत्येक
(X)	**आईसीटी और डिजिटल पहल -अनावर्ती-:** **(क(** कंप्यूटर लैब
	(ख(ऑपरेटिंग सिस्टम/सॉफ्टवेयर
	(ग(10 मदरसा स्कूलों के लिए फर्नीचर
	)घ (आवर्ती लागत)आईसीटी और डिजिटल पहल(

2	SPQEMशिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण
3	राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सुदृढ़ीकरण

15वीं एफसी अवधि में जारी रखने के लिए ईएफसी के मसौदे में उपरोक्त पात्रताओं को शामिल करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।”

मदरसा शिक्षकों के लिए निष्ठा पर दीक्षा प्रशिक्षण

6.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में और मदरसा स्कूलों के शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए, एनसीईआरटी के सहयोग से दीक्षा पर निष्ठा पोर्टल के माध्यम से मदरसा शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। यह प्रशिक्षण शुरू में 1 से 5 तक की कक्षाओं के शिक्षकों के लिए शुरू किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए मदरसा स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण हेतु दीक्षा पोर्टल पर एक अलग वेब पेज/टेनेंट तैयार किया गया है।

6.10 मदरसों, शिक्षक नामांकन यूडीआईएसई (2019-20) के संबंध में विवरण इस प्रकार है:

मदरसा स्कूल	शिक्षक	नामांकन
कुल मदरसा स्कूल: 26928 (मान्यता प्राप्त के साथ गैर मान्यता प्राप्त)	नियमित शिक्षक: 117272	कुल नामांकन: 43,52,303
सरकारी/ सरकार द्वारा प्रबंधित: 1425	संविदा शिक्षक: 28251	बालक: 21,14,297
सरकारी सहायता प्राप्त: 979	अंशकालिक शिक्षक: 1225	बालिकाएं: 22,38,006
गैर मान्यताप्राप्त: 4139 निजी : 26186	**कुल : 147148**	विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन): 13462

6.11 दिल्ली, लद्दाख, सिक्किम आदि सहित 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यूडीआईएसई+ पर मदरसा स्कूलों के संबंध में कोई आंकड़ा दर्ज नहीं किया है और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब और तमिलनाडु सहित 10 राज्यों में यूडीआईएसई पोर्टल पर केवल 1 से 20 मदरसा स्कूल पंजीकृत हैं।

6.12 इस संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान जानकारी दी कि:

“अभी तक रेकॉग्नाइज्ड और अनरेकॉग्नाइज्ड मदरसों की कुल संख्या यूडाइज डेटा के तहत, एचआरडी मिनिस्ट्री के डेटा के तहत 26,928 वहां पर मदरसा-स्कूल्स रजिस्टर्ड हुए हैं। यह हो सकता है कि कई मदरसे यूडाइज डेटा में रजिस्टर्ड न हों। विभाग उनके लिए प्रयासरत है कि अधिक से अधिक उनका रजिस्ट्रेशन हो। उनमें 1425 गवर्नमेंट मैनेज्ड हैं, गवर्नमेंट ऐडेड 979,उनमें प्राइवेट 26,186 और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों का रजिस्ट्रेशन वॉलंट्रेरली हुआ था, वह डेटा उन्होंने कैप्चर किया है। इनमें रेग्युलर टीचर्स 1,17,272 हैं, कॉंट्रैक्चुअल टीचर्स 28,251 हैं, पार्ट-टाइम टीचर्स 1225 हैं। इनमें कुल 1,47,148 टीचर्स हैं। अभी तक इनमें लड़कों और लड़कियों का कुल नामांकन 43,52,303 है। यह

संभव है कि जो डेटा रजिस्टर ही नहीं हुआ है, ऐसे कई मदरसे होंगे, जो हमारे डेटा फ्रेम में नहीं आए होंगे, उनको कैप्चर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम उसके लिए प्रयासरत हैं।"

6.13 योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर, सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष जानकारी दी कि:

"सर, अभी उसका ईएफसी नोट बन रहा है, क्योंकि इसी साल एच आर डी मिनिस्ट्री से वह स्कीम ट्रांसफर हुई थी। सभी राज्य सरकारों में पेंडेंसी ऑफ ऑनरेरियम देने के लिए प्रस्ताव भेज रहे थे, जहां-जहां भी मदरसा टीचर्स के लिए ऑनरेरियम पेंडिंग है, उसको तत्काल रिलीज़ करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जो ईएफसी नोट बनेगा और कैबिनेट में जाएगा, उसमे नए सिरे से विचार होगा कि मदरसा एजुकेशन को किस प्रकार से करना है। यह काम हम कर रहे हैं।"

6.14 मौजूदा दिशा-निर्देशों के अंतर्गत योजना के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:-

"(एक) आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए अधिकतम 3 शिक्षकों को मानदेय स्नातक शिक्षक के लिए ₹6,000/- प्रति माह तक और बीएड/ स्नातकोत्तर के साथ स्नातक के लिए ₹ 12,000 / प्रति माह तक।

(दो) समग्र शिक्षा के मानदंडों जैसे उपचारात्मक शिक्षण, अधिगम परिणामों का मूल्यांकन और संवर्द्धन, राष्ट्रीय अविष्कार अभियान आदि के अनुसार मदरसों में गुणवत्ता वाले घटक।

(तीन) समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर मदरसा शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।

(चार) प्रशासन को सुदृढ़ करने, आधुनिक विषयों का शिक्षण प्रदान करने वाले मदरसों के पर्यवेक्षण और कार्यक्रम की निगरानी आदि के लिए मदरसा बोर्ड के लिए 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।

(पांच) आईडीएमआई के अंतर्गत, समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार यूडीआईएसई के अंतर्गत चिह्नित कमियों के अनुसार संस्था के लिए अवसंरचना पात्रता का निर्णय लिया जाता है।

6.15 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय ने योजना (एसपीक्यूईएम) के तहत कवर किए जाने वाले छात्रों की संख्या और आईडीएमआई के तहत कवर किए जाने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या और सभी संस्थानों के आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन की संभावना का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

"योजना की शुरूआत स्थापना के बाद से निम्नलिखित तीन मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं:

I. योजनाओं –एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई का मूल्यांकन 2013में के.आर .नारायणन संस्थान, जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा किया गया।
II. 2017में, पूर्ववर्ती एनयूईपीए अब एनआईईपीए (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (ने एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई का थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया।

III. 21-2020में, एसपीक्यूईएम का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना होने के कारण किया गया था।"

6.16 यह पूछे जाने पर कि क्या योजना के तहत परिकल्पित कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तो मंत्रालय मदरसों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के समान शिक्षा देने का प्रस्ताव कैसे करता है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में जानकारी दी कि:-

"एसपीईएमएम राज्यों के साथ साझा करने के पैटर्न पर एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह मांग संचालित और स्वैच्छिक योजना है। राज्य सरकारें परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार/अनुमोदन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजती हैं।

17 राज्य अर्थात्; बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मिजोरम ने अब तक विभिन्न गतिविधियों के लिए योजना का लाभ उठाया है।

मंत्रालय ने 2.09.2021 को सभी राज्यों को लिखा था कि योजना को 01.04.2021 से (शिक्षा मंत्रालय) एमएसओई से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) को स्थानांतरित कर दिया गया है और योजना का विवरण देते हुए एसपीईएमएम के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है।"

6.17 समिति पाती है कि मदरसों/अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा प्रदान करने की योजना (एस पी ई एम एम) जिसमें दो योजनाएं नामत: मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की योजना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आई डी एम आई) को शामिल है जिसे 01.04.2021 से शिक्षा मंत्रालय से लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दे दिया गया है। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि शायद मंत्रालय को अभी जमीनी स्तर पर काम शुरू करना है क्योंकि इसकी अब तक बोर्ड की केवल दो बैठक के हुई है और इसलिए शिक्षा मंत्रालय से योजना को हस्तांतरित किए जाने के बाद से अभी तक मदरसों/अल्पसंख्यक के शिक्षा के लिए योजना के तहत कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ है। समिति पाती है कि योजना का हस्तांतरण किए जाने से पहले मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत 6 राज्यों से प्रस्ताव और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अंतर्गत 12 राज्यों से प्रस्ताव अनुमोदित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, मदरसों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत 8 राज्यों से प्रस्ताव और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) के अंतर्गत 5 राज्यों से प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं। समिति को बताया गया कि एसपीक्यूईएम के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक 30 नवंबर, 2021 को हुई और आई डी एम आई के अंतर्गत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रस्ताव बोर्ड की बैठक फरवरी, 2022 में हुई। समिति मानती है कि अनुमोदन प्रक्रिया की गति थोड़ी धीमी है और योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें गति लाए जाने की जरूरत है। समिति इस योजना में बड़ी संख्या में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी भी नहीं पाती है। इसलिए समिति चाहती है कि तीव्रता से कार्य किया जाए ताकि योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी हो। अब समिति को बताया गया है कि 2021 में योजना को शिक्षा मंत्रालय से हस्तांतरित कर दिया गया है, इसलिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन संबंधी तंत्र पर ईएफसी नोट तैयार की जाएगी। समिति चाहती है कि मंत्रालय शीघ्रता से प्रक्रिया पूरी करें ताकि विचाराधीन प्रस्तावों के अनुमोदन में असाधारण विलंब न हो। समिति यह भी मानती है कि समग्र शिक्षा के विभिन्न घटक मंत्रालय को उसकी इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि किसी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए योजना की जागरूकता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। समिति आशा करती है कि मूल्यांकन अध्ययनों का उचित संज्ञान लिया जाएगा ताकि संशोधित योजना में कोई खामी न हो। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई और इसके परिणाम से अवगत होना चाहेगी।

6.18 समिति पाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के क्रियान्वयन के भाग के रूप में क्षमता निर्माण तथा मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों और प्रिंसिपल के प्रशिक्षण के लिए दीक्षा पोर्टल पर एक वेब पेज बनाई गई है। तथापि समिति नोट करती है कि यू डी आई एस ई पर मदरसों और शिक्षकों के बारे में संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि मदरसा विद्यालयों के संबंध में आंकड़े यू डी आई एस ई पर 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्ज नहीं की गई है और 10 राज्यों ने केवल 1 से 20 मदरसों के बारे में सूचनाएं दी हैं। समिति को साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया कि ऐसी भी संभावना है कि सभी मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के आंकड़े संग्रहित नहीं किए गए हैं और कई मदरसे हैं जिन्हें यू डी आई एस ई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं किया गया है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों तथा उनकी अवसंरचना, शिक्षकों और छात्रों के बारे में सूचनाएं तीन महीने में संग्रहित करने का निर्देश जारी करें ताकि सभी मदरसों को योजना के तहत उपलब्ध सुविधाएं मिल सके। समिति का मत है कि जब तक मंत्रालय मदरसों के बारे में संपूर्ण सूचना तैयार नहीं करेगी तब तक उसे मदरसों में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने में कठिनाई होगी और इसके परिणाम स्वरूप योजना की वित्त संबंधी आवश्यकता का उचित मूल्यांकन प्रभावित होगा एवं योजना के लाभ से छात्र/शिक्षक वंचित होंगे।

अध्याय- सात

अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल – सीखो और कमाओ

7.1 कौशल विकास योजना (सीखो और कमाओ) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों या युवाओं की बेरोजगारी दर को कम करने के लिए 23 सितंबर, 2013 को शुरू की गई थी। यह अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों और बाजार क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारम्परिक कौशलों में उन्नत करने के लिए एक प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल विकास योजना है, जो उन्हें उपयुक्त रोजगार प्रदान कर सकती है या उन्हें स्वरोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बना सकती है। यह स्कीम चयन की उचित प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई चुनिंदा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्यों में कार्यान्वित की जाती है, जो समान परियोजनाओं को संभालने में अनुभव, एनएसडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों की उपलब्धता आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखती हैं। यह योजना न्यूनतम 75% प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है जिसमें से कम से कम 50% संगठित क्षेत्र में होता है। योजना के तहत लक्ष्य का 33% बालिकाओं के लिए निर्धारित करने का प्रावधान है।

7.2 योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए बीई के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के लिए ब.अ., सं.अ., वास्तविक व्यय और लक्ष्य /उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(लाख रुपए में)

2019-20				2020-21				2021-22				2022-23	
ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	लक्ष्य/ उपलब्धि	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	लक्ष्य/ उपलब्धि	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	लक्ष्य/ उपलब्धि	ब.अ.	सं.अ.
250.00	250.00	175.52	140,00 /0 *79,206)पीआईए से कम प्रस्ताव की प्राप्ति(	250.00	190.00	190.03	/1,75000 17398)पीआईए से कम प्रस्ताव की प्राप्ति(	276.00	250.00	206.95	150,000 (74700 लाभार्थियों के लिए निधि जारी)	235.41 (बजट प्रस्ताव)	1,75,000

7.3 यह पूछे जाने पर कि वे कौन से कारण थे जिनके कारण बजटीय आवंटन खर्च नहीं किया जा सका और प्राप्त प्रस्ताव 20-2019और 21-2020में लक्ष्य से काफी कम थे और मंत्रालय स्थिति में सुधार के लिए कौन सी प्रक्रिया अपना रहा है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में जानकारी दी कि:

> "पिछले तीन वर्षों में योजना के तहत वित्तीय उपलब्धि अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में संशोधित अनुमानों के मुकाबले क्रमशः 70%, 100% और 88% (31.01.2022 के अनुसार) थी। किए गए दावे से संबंधित दस्तावेजों को शीघ्र प्रस्तुत करने में तेजी लाने के लिए पीआईए के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की जा रही है।"

7.4 यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय द्वारा धनराशि जारी करने के लिए कौन-सा तंत्र अपनाया गया है और किन कारणों से 2021-22 के लिए आज तक धनराशि जारी नहीं की गई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

"सीखो और कमाओ के तहत धनराशि तीन किस्तों अर्थात 30:50:20 में जारी की जाती है। पहली किस्त समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के बाद जारी की जाती है, 50% की दूसरी किस्त एक ऑडिटेड स्टेटमेंट द्वारा समर्थित पहली किस्त के 90% के उपयोग के बाद जारी की जाती है, परियोजना के पिछले वर्षों के लिए वर्ष-वार ऑडिट रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाती है। राज्य सरकार/अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारी/अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त कोई भी एजेंसी की देय और निरीक्षण रिपोर्ट। परियोजना की तीसरी किस्त + प्रोत्साहन (यदि लागू हो) परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट, ऑडिट प्रमाण पत्र, तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा मिले और बेतरतीब ढंग से सत्यापित और नियुक्त और स्व-नियोजित अभ्यर्थियों के विवरण प्रस्तुत करने पर जारी किया जाता है। मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 31.01.2022 तक आरई के 88 प्रतिशत से अधिक का उपयोग किया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरई के 100% का उपयोग करेगा।"

7.5 इस संबंध में, मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि एसएके पोर्टल पर किस्तों को जारी करने के लिए दस्तावेजों को अपलोड करने में पीआई की ओर से होने वाले विलंब की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) आयोजित की गई थी । पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस 11 नवंबर, 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें 47 पीआईए ने भाग लिया था, जिसके बाद 29 नवंबर, 2021 को एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें 68 पीआईए ने भाग लिया था। कुल 115 पीआईए अब तक विडियो कांफ्रेंसिंग में भाग ले चुके हैं।

7.6 यह पूछे जाने पर कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

"'सीखो और कमाओ' की कौशल विकास योजना 23 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी। कोई भी निजी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान स्थापित बाजार संबंधों और प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ कम से कम तीन वर्षों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित करता है और मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य मानदंड को पूरा करता है, आवेदन करने के पात्र हैं। PIA के पास किसी विशेष राज्य में अपने स्वयं के/पट्टे पर प्रतिष्ठान होने चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट करने की अनुमति नहीं है। PIA के प्रशिक्षण केंद्रों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से संबद्ध और मान्यता प्राप्त होना अपेक्षित है। यह अनिवार्य है कि PIA को किसी केंद्रीय/राज्य मंत्रालय/विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए। योजना में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) का चयन एक RFP आमंत्रित करके एक खुली पैनल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। PIA को योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए और नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर नामांकित होना चाहिए।"

7.7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिए पीआईए के चयन के संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उक्त योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए राज्यवार संस्थाओं का सीधे तौर पर चयन नहीं करता है। हालांकि, प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरे भारत से पीआईए से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना को देश में कहीं भी आरंभ किया जा सकता है, लेकिन उन संगठनों को वरीयता दी जाती है जो अल्पसंख्यक बहुल जिलों/कस्बों/ब्लॉकों के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित करते हैं।

7.8 इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) और लाभार्थियों के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	राज्य	पीआईए की संख्या	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	16	16226
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1164
3	असम	17	20181
4	बिहार	17	35430
5	चंडीगढ़	5	226
6	छत्तीसगढ	8	3337
7	दिल्ली	75	10915
8	गुजरात	17	13021
9	हरियाणा	39	13834
10	हिमाचल प्रदेश	2	3284
11	जम्मू और कश्मीर	47	42507
12	झारखंड	16	15791
13	कर्नाटक	17	9508
14	केरल	3	3348
15	मध्य प्रदेश	78	44665
16	महाराष्ट्र	34	14427
17	मणिपुर	3	3849
18	मेघालय	1	2475
19	ओडिशा	14	2734
20	पंजाब	27	31143
21	राजस्थान	44	15964
22	तमिलनाडु	31	3979
23	तेलंगाना	34	17150
24	त्रिपुरा	3	2431
25	उत्तर प्रदेश	147	90657
26	उत्तराखंड	9	5686
27	पश्चिम बंगाल	38	32506
	कुल योग	**743**	**456440**

7.9 योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पीआईए को कम से कम 75% अभ्यर्थियों के लिए प्लेसमेंट सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिनमें से कम से कम 50% संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित और नियोजित लाभार्थियों की कुल संख्या पोर्टल के अनुसार नीचे दी गई है। पोर्टल पर प्लेसमेंट अपलोड करना एक सतत प्रक्रिया है। पिछले 3 लक्षित वर्षों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध प्लेसमेंट डेटा नीचे सारणीबद्ध है। वर्ष 2021-22 के लिए, कोविड महामारी के देशव्यापी प्रकोप, पिछली प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देश के कारण लक्ष्यों का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

7.10 पिछले 3 लक्षित वर्षों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध प्लेसमेंट डेटा नीचे सारणीबद्ध है:

सीखो और कमाओ	लक्ष्य वर्ष (20-2019)		लक्ष्य वर्ष (19-2018)		लक्ष्य वर्ष (18-2017)	
राज्य का नाम	प्रशिक्षित प्रशिक्षु	नियोजित प्रशिक्षु*	प्रशिक्षित प्रशिक्षु	प्रशिक्षित प्रशिक्षु	प्रशिक्षित प्रशिक्षु	प्रशिक्षित प्रशिक्षु
आंध्र प्रदेश	3188		3228	970	3313	2054
अरुणाचल प्रदेश	0		100	0	240	172
असम	4256		4643	815	4520	3012
बिहार	3289		5122	1660	5524	1680
छत्तीसगढ	0		0	0	873	378
दिल्ली	640		1610	3	4443	1868
गुजरात	2950		2287	305	2826	1057
हरियाणा	2029		2535	610	2891	1190
हिमाचल प्रदेश	173		220	0	400	149
जम्मू और कश्मीर	9792		5397	491	9596	2434
झारखंड	3023		1823	1184	3263	1102
कर्नाटक	820		1552	480	2760	1596
केरल	0		60	41	1997	1310
मध्य प्रदेश	4843		8656	1354	15182	6316
महाराष्ट्र	1061		3339	1217	3568	1090
मणिपुर	0		0	0	600	434
मेघालय	0		259	0	250	80
ओडिशा	251		200	84	350	36
पंजाब	5664		5059	1632	6968	4168
राजस्थान	3586		3688	1149	3595	1595
तेलंगाना	1913		1228	854	5947	4015
उत्तर प्रदेश	21894		23938	7520	20711	9004
उत्तराखंड	531		670	265	187	147
पश्चिम बंगाल	4462		3634	565	8373	3586
कुल योग	**74365**		**79248**	**21199**	**109939**	**49330**

7.11 प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन की प्रमुख सिफारिशों, जिन्हें सीखो और कमाओ योजना के लिए ईएफसी टिप्पण के संदर्भ योजना में शामिल कर लिया गया है, से संबंधित ईएफसी टिप्पण को स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा। अध्ययन की सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

एक. योजना की दक्षता में सुधार के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) की आवश्यकता है।

दो. दूरदराज के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों विशेष रूप से अल्पसंख्यक जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों के लिए प्रत्यायन मानदंडों में ढील देने का औचित्य भी प्रतीत होता है, जिनको मंत्रालय के कौशलीकरण मानचित्र पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऐसे जिलों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को स्थानीय स्तर पर स्किलिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। यह कदम यह

सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पूरे राष्ट्र में सभी अल्पसंख्यक आबादी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए और यह केवल कुछ अल्पसंख्यक स्थानों में मौजूदा पीआईए के पास उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना पर निर्भर नहीं है।

तीन. नौकरी की भूमिकाओं जिनके लिए वर्तमान में पीआईए द्वारा सीखो और कमाओ के तहत स्किलिंग प्रदान की जा रही है, के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि अधिकांश नौकरियां छोटे स्तर की नौकरियां होती है जिनकी एनएसक्यूएफ स्तर 4 और उससे नीचे के स्तर की घरेलू केंद्रित नौकरी भूमिकाएं होती हैं, जिनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में समायोजित हो जाने की संभावना होती है। टेलरिंग, लैब तकनीशियन और प्लंबर का प्रशिक्षण आज पूरे कौशल प्रशिक्षण का 75% से अधिक हैं, इस प्रकार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं है, जो कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और एमएसएमई के दिल में है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन नौकरी भूमिकाओं के स्पैक्ट्रम को राष्ट्रीय अभिकेंद्रित क्षेत्रों तक ले जाने का एकमात्र तरीका है एसएसक्यूएफ स्तर 5 और इससे ऊपर की उच्च स्तरीय नौकरी भूमिकाओं में से शुरू में 25% उद्योग संघों, प्रतिष्ठित उद्योगों/एसएससी या कौशल विश्वविद्यालयों को नामांकन आधार पर आबंटित करना बशर्ते कि वे कोविड के पश्चात् के माहौल में वास्तविक मांग आधार पर कौशल शैडो क्षेत्रों में अल्पसंख्यक युवाओं को नियुक्त करने का वचन दें।

चार. बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने वालों के पास एक तरफ अपनी रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल विकास तक पहुंच नहीं है, जबकि द ूसरी तरफ मांग वाले कौशलों के लिए बाजार में 12.8 मिलियन नौकरियां उपलब्ध हैं। इसलिए स्किलिंग का औचित्य है।

पांच. जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण के लिए वास्तविक बुनियादी ढांचा आम तौर पर पर्याप्त है, हालांकि विशेष रूप से कैंटीन, प्रयोगशालाओ ं और छात्रावासों के क्षेत्र में सुधार की कुछ गुंजाइश है। टीओटी करवाने और मौखिक भाषाओं में पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करते हुए प्रशिक्षकों की गुणवत्ता विशेष रूप से सफ्ट स्किल्स में सुधार करने की भी कुछ जरूरत है।

छः. प्रशिक्षुओं में से अधिकांश अत्यंत गरीब बीपीएल वर्गों से हैं, जो दैनिक आय के लिए पीएमएनआरईजीए और अंत्योदय पर निर्भर हैं। विशेष रूप से अल्पसंख्यक लड़कियां वंचित और प्रतिबंधात्मक सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और पीआईए की भागीदारी की आवश्यकता होती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए सीखो और कमाओ ज ैसी योजनाओं को लागू करने के लिए एक मजबूत मामला है और इस योजना के बारे में जनता की पहुंच और जागरूकता में सुधार के लिए कदम उठाने हैं, ताकि कैचमेंट आबादी को बेहतर ढंग से लक्ष्यित किया जा सके।

सात. विद्यालय छोड़ने वालों की उच्च संख्या को द ेखते हुए जो कड़े चयन प्रक्रिया के कारण पीआईए द्वारा आयोजित स्किलिंग कक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने में असमर्थ हैं और चूंकि 4 स्तर तक के अधिकांश कौशल के लिए 10वीं पास की न्यूनतम अर्हता की आवश्यकता होती है, इसलिए स्कूल छोड़ने वालों को शिक्षित करने का एक विकल्प देते हुए योजना के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता है, और विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, नई मंजिल योजना को अगर बंद करने का प्रस्ताव हो। सर्वेक्षण में योजना रोजगार सृजन, आय में सुधार, कौशल सेट बढ ़ाने और परिवारों के जीवन की समग्र गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हुए बहुत ही उत्साहजनक डेटा

दिया जाता है। कुल 99% नामांकित प्रशिक्षुओं ने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया, 97% को कौशल प्रमाणपत्र और 79% को प्लेसमेंट मिला। इस प्रकार यह योजना प्रशिक्षुओं के कौशल सेट को बढ़ाने और उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में लाभकारी रही है।

आठ. मांग प्रेरित कौशल मडल निश्चित रूप से वर्तमान आपूर्ति प्रेरित मडल से बेहतर है जिसमें पीआईए के अनुमानों और सुविधा के आधार पर नौकरी की भूमिकाओं का चयन किया जाता है, जो किसी भी वैज्ञानिक डेटा या आधार पर आधारित नहीं है। बाजार में विभिन्न कौशल-सेटों की गतिशील और सद ैव बदलती मांग के कारण, जिला स्तर पर इस तरह के डेटा उपलब्ध कराना एक विशेष काम है और एमएसडीई के अधिदेश में है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को एमएसडीई से संपर्क करना चाहिए।

7.12 यह पूछे जाने पर 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और 2022-23 के लिए 450.00 करोड़ के अनुमान के क्या कारण हैं जब मंत्रालय 2019-20 और 2021-22 में आवंटन खर्च नहीं कर सका, मंत्रालय ने जानकारी दी कि:

"वर्ष 2022-23 के लिए ,सीखो और कमाओ)एसएके (के लिए प्रस्तावित निधि में पिछली देनदारियां भी शामिल हैं। एसएके को हाल ही में 15वें वित्त आयोग चक्र ,अर्थात् पीएमकेकेके में नई योजना के एक घटक के रूप में अनुमोदित किया गया है। नई योजना प्रधान मंत्री कौशल को काम कार्यक्रम)पीएमकेकेके (में तीन घटक हैं ,अर्थात ,1) समकालीन कौशल)एसएके(, 2) पारंपरिक कौशल)उस्ताद (और 3) नेतृत्व सह महिला अधिकारिता घटक)एनआरएनएम(, के लिए संभावना के साथ घटकों के भीतर निधियों की अंतर-पोर्टेबिलिटी।
वित्त वर्ष 22-2021के लिए 450करोड़ रु .का बजट मांगा गया था, हालांकि, हमें केवल 235करोड़ मिले हैं, जिसमें पिछली देनदारियां शामिल हैं। नियत समय में परिव्यय बढ़ाने के लिए एक पूरक अनुदान मांगा जाएगा।"

7.13 समिति नोट करती है कि युवा अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सितंबर, 2013 में शुरू की गई कौशल विकास योजना के लिए 2019-20 में 250.00 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान चरण 2020-21 में 250.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे लेकिन मंत्रालय 2019-20 में केवल 175.52 करोड़ रुपए और 2021-22 में 206.95 करोड़ रुपए खर्च कर सकी। 2020-21 में मंत्रालय 250.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 190.03 करोड़ रुपए खर्च कर सकी। समिति यह देख कर आश्चर्यचकित है कि मंत्रालय न केवल बजटीय आवंटन का उपयोग करने में असफल रही वरन साथ ही 2019-20 और 2020-21 के लिए नियत लक्ष्य भी प्राप्त करने में असफल रही। समिति यह देख कर भी क्षुब्ध है कि 2021-22 में बजटीय आवंटन 276.00 करोड़ रुपए से घटाकर 2022-23 में 235.41 करोड़ रुपए कर दी गई है। समिति ने 2021-22 में संशोधित अनुमान का 100% उपयोग करने का आश्वासन दिया था जो बाद में नहीं हुआ। समिति जानना चाहती है कि क्या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धनराशि जारी करने की प्रक्रिया का कठोरता से अनुपालन नहीं हो रहा है और इस प्रकार इसके परिणाम स्वरूप मंत्रालय बाद के किस्तों को जारी करने में सक्षम नहीं है। समिति यह भी पाती है कि परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की लंबिता की समीक्षा करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग जैसे उठाए गए कदमों के इच्छित परिणाम नहीं निकला है। इसलिए, समिति पाती है कि मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए कठोर मानक बनाए और यदि आवश्यक हो तो राज्य के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे स्थापित मानकों का अनुपालन कर सके जिससे योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से होगा।

7.14 समिति नोट करती है कि कौशल विकास योजना के अनुसार न्यूनतम 75% प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मिलना चाहिए जिसमें से कम से कम 50% को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए। मंत्रालय द्वारा दी गई संख्यात्मक सूचना से पता चलता है कि वर्ष 2017-18 के दौरान 109939 प्रशिक्षण प्राप्त किए गए व्यक्तियों में से 49330 प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मिला। इसी तरह, वर्ष 2018-19 के दौरान 79248 प्रशिक्षण प्राप्त किए गए व्यक्तियों में से 21199 प्रशिक्षणार्थी को रोजगार मिला जो प्रशिक्षण प्राप्त किए गए व्यक्तियों का 50% से कम है। बाद में स्थिति और बुरी हो गई क्योंकि कोविड लहर आने के कारण कोई भी प्रशिक्षणार्थी रोजगार प्राप्त नहीं कर सका। इसके साथ ही, समिति नोट करती है कि कुछ राज्यों में स्थिति बुरी है क्योंकि वह न तो किसी को रोजगार प्राप्त कर सका और वहां रोजगार की स्थिति कल्पना से बहुत कम थी। समिति यह भी पाती है कि कुछ राज्यों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की संख्या बहुत कम है जो बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि केवल कुछ ही लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। समिति चाहती है कि मंत्रालय इन सभी पहलुओं का पूरी तरह से जांच करें क्योंकि परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों की सूची से तभी इच्छित परिणाम मिल सकेगा। जब तक नियत लक्ष्य को बढ़ाया न जाए और इच्छुक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उचित कदम नहीं उठाया जाए तब तक योजना का उद्देश्य संभवत प्राप्त नहीं होगा। चूंकि योजना को अभी उचित दिशा में कार्य करना है, इसलिए समिति चाहती है कि मंत्रालय उपयुक्त उपाय करें ताकि लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके और वे उचित रोजगार प्राप्त कर सकें।

7.15 समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि कौशल विकास योजना को नई योजना के घटक नामत: प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। समिति पाती है कि नई योजना में मंत्रालय के दो और मौजूदा योजनाओं अर्थात परंपरागत कौशल (उस्ताद) और घटकों के मध्य निधियों की अंतर वहनीयता की संभावना सहित नेतृत्व-सह महिला सशक्तिकरण को शामिल किया गया है। तथापि समिति घटकों के मध्य निधियों के अंतर वहनीयता के प्रावधान से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनका मत है कि अपने कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक घटक के अंतर्गत कम से कम नाममात्रिक आवंटन किया जाना चाहिए अन्यथा इनमें से कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम में कुछ बड़ी योजनाओं से निष्प्रभावी हो जाएंगी। समिति

का मत है कि प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन ने कुछ पथ प्रदर्शक सिफारिशें दी हैं और इसलिए इनकी जांच और योजना के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए इसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि नई योजना का सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन किया जाना चाहिए ताकि योजना का कोई घटक निष्प्रभावी न हो और इस प्रकार, योजना के लाभार्थी वंचित ना हो।

अध्याय-आठ

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

8.1 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना जुलाई, 1989 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी और यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं और संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के प्रभारी) भी मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के पदेन सदस्य हैं। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की सामान्य निकाय में 15 सदस्य होते हैं जिनमें छह सदस्य पदेन होते हैं और नौ सदस्यों को एमएईएफ के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान का प्रबंधन इसकी शासी निकाय के सुपुर्द है।

8.2 एमएईएफ निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(i) एनजीओ को सहायता अनुदान:

इस योजना के अंतर्गत, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एनजीओ को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है: 1. एनजीओ को सहायता अनुदान; 2. स्कूल भवनों का निर्माण / विस्तार, छात्रावास भवनों का निर्माण; 3. बी.एड / .डी .एड .कॉलेजों का निर्माण /विस्तार, तकनीकी संस्थानों /बीटीसी का निर्माण; 4. स्कूलों /आईटीआई बीटीसी के लिए प्रयोगशाला उपकरणों, फर्नीचर आदि की खरीद। इस योजना से छोटे संस्थानों को अपनी अवसंरचना का विस्तार करने में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप लक्षित समूह के बीच शैक्षणिक क्रियाकलापों में समग्र रूप से सुधार हुआ है। यह एक ऐसी अनूठी योजना है जो राज्य सरकार अथवा अन्य बाहरी एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना सीधे एमएईएफ द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(ii) बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति:

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने वह छात्रवृति योजना 2003-04 में आरंभ की थी। असमुदाय के लिए उनकी उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा अर्थात् कक्षा 11 और 12 हेतु राष्ट्रीय यह पहली ति योजना थी। इस योजना से न केवल अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिला है अपितु इसके परिणामस्वरूप उनकी साक्षरता दर में समय सुधार भी हुआ है। अब MAEF कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को भी दे रहा है। एमएईएफ कक्षा 9 और 10 के लिए प्रति छात्रा 5000- रु. और क्या 11 और 12 के लिए पति छात्रा की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करता है। आवदेन आनलाइन प्रस्तुत किए जाते है और छात्रवृत्तियों की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है। एमएईई द्वारा विकसित एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की जा रही थी। अब चालू वर्ष अर्थात 2021-2022 से सभी योजनाओं को एक मंच पर लाने और आवेदकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के कई लाभ उठाने की संभावना को कम करने के उद्देश्य से योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर शामिल किया गया है।

(iii) गरीब नवाज रोजगार योजना:

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने वर्ष 2017-18 से गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण नामक योजना का शुभारंभ किया है। जिसे वर्ष 2019-20 से गरीब नवाज रोजगार योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अधीन अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न अल्प अवधि के रोजगार उन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उन्हें कौशल आधारित रोजगार के लिए समर्थ बनाया जा सके। यह योजना पैनलबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीएंडई) के सामान्य मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है।

(iv) वर्ष 2021-22 के दौरान एमएईएफ के अन्य क्रियाकलाप

अलवर जिला (राजस्थान) में राष्ट्रीय संस्थान एवं हुनर हब की स्थापना: मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के अनुरोध पर राजस्थान सरकार ने एमएईएफ को लागत आधार पर अलवर जिला के किशनगढवास में प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान एवं हुनर हव स्थापित करने में लिए गांव कोहरापीपली, तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर में 15 एकड़ भूमि आवंटित की है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने उक्त परियोजना के लिए ईडीसीआईएल से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करवा ली है। इस प्रयोजनार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

8.3 वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए उपरोक्त योजना के तहत ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रूपये)

	2019-20		2020-21			2021-22			2022-23
ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.
90.00	90.00	37.50	82.00	80.00	70.92	90.00	76.00	76.00	00.01

8.4 वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 के दौरान के वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के विवरण इस प्रकार हैं:

2019-20			2020-21			2021-22			पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों का %	2022-23 लक्ष्य
लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी, यदि कोई हो, संक्षेप में कारण सहित		
4	5	6	7	8	)	10	11	12	13	14
2,00,000 छात्रवृत्तियां पिछले वर्ष के लक्ष्य से कौशल प्रशिक्षण 160 मदरसा अध्यापकों को प्रशिक्षण	04 एनजीओ को जीआईए, 3.02 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्तियां, गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत 6000 प्रशिक्षणार्थियों के लिए कौशल प्रशिक्षण, 79 मदरसा अध्यापकों को प्रशिक्षण	--	2.00 लाख लड़कियों को छात्रवृत्ति, पिछले वर्ष के लक्ष्य से कौशल प्रशिक्षण, 160 मदरसा अध्यापकों को प्रशिक्षण	2,50,424 छात्रवृत्तियां	--	2.90 लाख लड़कियों को छात्रवृत्तियां	एनजीओ को जीआईए एवं छात्रवृत्तियां प्रक्रियाधीन है।		70.71%	2.5 लाख लड़कियों को छात्रवृत्तियां

8.5 जिन कारणों के चलते 2019-20 और 2020-21 में संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय कम हुआ, उनके बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि:

"वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, एमएईएफ द्वारा अर्जित आय पर ब्याज के माध्यम से MAEF को अपेक्षाकृत कम राशि जारी की गई थी। इसके अलावा, एमएईएफ ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी धन का पूरी तरह से उपयोग किया गया था।"

8.6 2020-21 में सं.अ. चरण में बजटीय आवंटन को कम करने और 2022-23 में बहुत मामूली राशि आवंटित करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:

"पिछले व्यय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए बीई को कम कर दिया गया था। एमएईएफ के पास कॉर्पस ,ब्याज आय से धन है और मंत्रालय के पास एमएईएफ के खर्चों को पूरा करने के लिए आंतरिक रूप से धन के पुन :विनियोग का लचीलापन है। इसके अलावा मंत्रालय लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के साथ मंत्रालय की अध्येतावृत्ति छात्रवृत्ति)केन्द्रीय (योजना को एक साथ जोड़ने पर विचार कर रही हो ताकि भविष्य में इस छात्रवृत्ति योजना हेतु पर्याप्त निधि सुनिश्चित किया जा सके।"

8.7 समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देकर शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और गरीब नवाज रोजगार योजना में वर्ष 2022-23 के लिए 00.01 करोड़ रुपए दिए हैं जबकि 2019-20 में 90.00 करोड़ रुपए और 2020-21 में 82.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई। समिति 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन में कमी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है कि एमएईएफ को केंद्र के ब्याज आय से राशि मिलती है और मंत्रालय को एमएईएफ के व्यय को पूरा करने के लिए आंतरिक रूप से निधियों का पुन:विनियोजन करने की शक्ति है। समिति पाती है कि बजटीय सहायता के अभाव में एमएईएफ की योजनाएं संभवत: प्रभावित होती हैं क्योंकि ब्याज आय का उपयोग करने से एमएईएफ के जमा राशि कम होगी जिसका उपयोग आपात खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि एमएईएफ को 2022-23 के लिए धनराशि दी जाए ताकि वह अपने परिकल्पित भूमिका निभाना जारी रख सके जो वह करता आ रहा है। धनराशि में कमी किए जाने का दूसरा स्पष्टीकरण कि मंत्रालय ने छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति (केंद्रीय) योजना में मिलाने का प्रस्ताव इस चरण में बहुत ही शीघ्र है क्योंकि योजना भविष्य के लिए प्रस्तावित है और इस पर निर्णय लिया जाना है। समिति सराहना करेगी यदि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय से 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने के संबंध में मिले ताकि जिस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है वह पूरी हो सके। समिति नोट करती है कि एमएईएफ को राष्ट्रीय संस्थान और किशनगढ़, राजस्थान में हुनर केंद्र की स्थापना के लिए ईडीसीआईएल द्वारा तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समिति की इच्छा है कि संस्थान के निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा नियत किया जाए ताकि इसे समयबद्ध तरीके से कार्यशील बनाया जा सके।

नई दिल्ली;
22 मार्च, 2022
01 चैत्र, 1944 (शक(

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति